सत्यमेव जयते

भारत सरकार

परिणाम बजट

2011 - 2012

जल संसाधन मंत्रालय

विषय सूची

अध्याय/पैरा सं.	पहलू	पृष्ठ
	कार्यकारी सार	1-3
I	मंत्रालय/विभाग के कार्यों, संगठनात्मक ढांचे के संबंध में संक्षिप्त परिचयात्मक टिप्पण, मंत्रालय/विभाग द्वारा क्रियान्वित किए गए प्रमुख कार्यक्रम/स्कीमों की सूची, इसका अधिदेश, लक्ष्य और नीतिगत ढांचा	4-8
I I	परिव्यय और परिणामों/लक्ष्यों का विवरण : वार्षिक योजना 2011-2012	9-22
III	सुधारात्मक उपाय और नीतिगत प्रयास	23
IV	विगत निष्पादन की समीक्षा	24
V	समग्र वित्तीय समीक्षा	25-33
	वित्तीय वर्ष 2010-11 में व्यय का रूझान	
	बजट एक झलक	
	उपयोगिता प्रमाणपत्र	
VI	सांविधिक/स्वायत्त संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य निष्पादन की समीक्षा	34-36
	सांविधिक निकाय:	
6.1.1-6.1.7	ब्रह्मपुत्र बोर्ड	34-35
6.2.1	रावी और व्यास जल अधिकरण	35
6.3.1	कावेरी जल विवाद अधिकरण	35-36
6.4.1- 6.4.2	कृष्णा जल विवाद अधिकरण	36
6.5.1	वंशधारा जल विवाद अधिकरण	36
6.6.1	महादायी जल विवाद अधिकरण	36
	स्वायत्त निकाय (सोसाइटीज):	37-41
6.7.1-6.7.6	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण	37-38
6.8.1-6.8.12	राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान	38-41
	(i)	

	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम:	**41-45**
6.9.1-6.9.8	जल एवं विद्युत परामर्शी सेवाएं (भारत) लिमिटेड	**41-44**
6.10.1-6.10.5	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	**44-45**
	अनुलग्नक	
I	2009-10 के दौरान कार्य निष्पादन	**46-63**
II	2010-11 के दौरान कार्य निष्पादन	**64-79**
III	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय परियोजना के संबंध में सूचना	**80-81**
IV	XIवीं योजना के परिव्यय की तुलना में जल संसाधन मंत्रालय के बजट का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण	82

कार्यकारी सार

इस मंत्रालय का परिणाम बजट 2011-2012 वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों में निहित व्यापक प्रारूप के अनुसार तैयार किया गया है । इस बजट में वित्त वर्ष 2009-10 में वास्तविक निष्पादन दर्शाते हुए वित्त बजट के वास्तविक पक्षों वित्त वर्ष 2010-2011 के प्रथम 9 माह तथा 2011-12 के दौरान लक्षित निष्पादन को रेखांकित किया गया है । इस बजट में मंत्रालय के विभिन्न पहलुओं को समाहित करते हुए निम्नलिखित अध्याय हैं:-

अध्याय	शामिल पहलू
I	यह मंत्रालय के कार्यों, संगठनात्मक ढांचा, आयोजना और नीतिगत ढांचे तथा मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों/स्कीमों का संक्षिप्त परिचय देता है । संक्षेप में भारत सरकार में जल संसाधन मंत्रालय जल के एक राष्ट्रीय संसाधन के रूप में समग्र विकास, संरक्षण और प्रबंधन तथा विभिन्न जल प्रयोगों के समन्वय सहित इस संबंध में समग्र राष्ट्रीय परिदृश्य और समन्वय हेतु नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। केन्द्रीय मंत्री, राज्य मंत्री तथा सचिव के नियंत्रणाधीन मंत्रालय प्रशासन स्कन्ध, समन्वय स्कन्ध, वित्त स्कन्ध और नौ विषयगत स्कन्धों के अंतर्गत गठित है । इस मंत्रालय के दो संबद्ध कार्यालय, सात अधीनस्थ कार्यालय, सात सांविधिक निकाय, दो स्वायत्त निकाय (सोसायटीज) और दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं । ग्यारहवीं योजना अवधि के लिए इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित/मॉनीटर किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों के अंतर्गत गतिविधियों को 15 केन्द्रीय क्षेत्र, और 05 राज्य क्षेत्र स्कीमों (सी ए डी एवं डब्ल्यू एम की एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम 2008-09 से राज्य क्षेत्र में डाल दी गई है) में मिला दिया गया है ।
II	इसमें सारणीबद्ध प्रारूप है जिसे बजट प्राक्कलन 2011-2012 के विवरण (एसबीई) के "ऊर्ध्वाधर संक्षेपण और क्षैतिज विस्तार" के रूप में देखा जा सकता है । इसका मुख्य उद्देश्य (वित्तीय) बजट 2011-2012 और परिणाम बजट 2011-2012 के बीच क्रमवार सामंजस्य स्थापित करना है। इस ब्यौरे में वित्तीय परिव्यय, प्रक्षेपित परिणाम और प्रक्षेपित/बजटीय परिणाम (मध्यम, आंशिक और अंतिम, जैसा भी मामला हो) शामिल हैं ।
III	इसमें मंत्रालय द्वारा किये गये सुधार उपाय और नीतिगत कार्यों तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी, वैकल्पिक वितरण तंत्र, सामाजिक और लिंग सशक्तीकरण प्रक्रिया व्यापक विकेन्द्रीकरण, पारदर्शिता इत्यादि जैसे क्षेत्रों में अंतरवर्ती परिणाम और अंतिम परिणामों से किस तरह इन्हें जोड़ा जाये, का विवरण दिया गया है ।
IV	इसमें अंतर के कारणों से वास्तविक निष्पादन का स्कीमवार विश्लेषण; अलग-अलग कार्यक्रमों/स्कीमों के क्षेत्र और उद्देश्यों की व्याख्या, 2009-10 के दौरान तथा 2010-11 की तीसरी तिमाही तक वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियों का ब्यौरा दर्शाया गया है।
V	इसमें हाल के वर्षों में बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों की तुलना में व्यय की समग्र प्रवृत्तियों को समाहित करते हुए वित्तीय समीक्षा दी गई है । इस अध्याय में राज्यों और कार्यान्वयन अभिकरणों के पास बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों और खर्च न हुई बकाया राशि की स्थिति का ब्यौरा दिया गया है ।

VI इस अध्याय में इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सांविधिक/स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निष्पादन की समीक्षा दी गई है ।

2. मंत्रालय ने 1987 में राष्ट्रीय जल नीति अपनाई और इसे बाद में संशोधित कर दिया गया । संशोधित राष्ट्रीय जल नीति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद द्वारा 1 अप्रैल, 2002 को इसकी 5वीं बैठक में अपनाई गई ।

3. जल संसाधन मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय केन्द्रीय जल आयोग मुख्य केन्द्रों पर जलवैज्ञानिक प्रेक्षणों से संबंधित विशिष्ट गतिविधियां, अभिज्ञात परियोजनाओं, विशेषत: पूर्वोत्तर क्षेत्र में, का सर्वेक्षण और अन्वेषण, जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, डिजाइन और मूल्यांकन तथा बाढ़ पूर्वानुमान में राज्यों की सहायता करता है । केन्द्रीय जल आयोग अपने विभिन्न मानीटरिंग निदेशालयों और क्षेत्र संरचनाओं के माध्यम से चयनित चालू वृहद, मध्यम और विस्तार, पुनरूद्धार एवं आधुनिकीकरण (ईआरएम) सिंचाई परियोजनाओं की सामान्य मानीटरिंग करता है । आयोग, मुख्य रूप से त्वरित सिंचाई् लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन स्कीमों के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर रही वृहद, मध्यम और चुनिंदा लघु सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन की मानीटरिंग करता है । मानीटरिंग के एक भाग के रूप में सी डब्ल्यू सी के अधिकारियों द्वारा नियमित आधार पर इन परियोजनाओं का दौरा किया जाता है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलापों की मानीटरिंग करने के लिए इस मंत्रालय के कमान क्षेत्र विकास स्कंध के अधिकारियों द्वारा कमान क्षेत्र विकास परियोजनाओं का भी दौरा किया जाता है ।

4. जल संसाधन मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड के मुख्य कार्यकलापों में भू जल प्रबंधन अध्ययन, भूजल प्रबोधन, भूभौतिकी अध्ययन, अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग, कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन अध्ययन, दूर संवेदी अध्ययन, जल गुणवत्ता विश्लेषण, अल्पकालिक जल आपूर्ति, अन्वेषण, भूजल विकास का विनियमन, जन जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि शामिल हैं ।

5. संबंधित क्रियान्वयन अभिकरणों के साथ नियमित आवधिक व्यय समीक्षा बैठकों के माध्यम से मंत्रालय द्वारा विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमों के संबंध में वित्तीय और वास्तविक प्रगति की मानीटरी की जाती है । राज्य क्षेत्र स्कीमों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राज्य के जल संसाधन/सिंचाई/बाढ़ नियंत्रण सचिवों के साथ बैठकें की जाती हैं ।

6. मंत्रालय के अंतर्गत अन्य संगठन जैसे केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधानशाला, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान अन्य बातों के साथ-साथ जल संसाधन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्यकलापों में जुटे हुए हैं ।

7. सूचना, शिक्षा तथा संचार स्कीम के अंतर्गत, सामूहिक तौर पर जल संसाधनों

के अधिकतम विकास तथा प्रबंधन के महत्व के बारे में विभिन्न लक्ष्य, समूहों के बीच जागरूकता लाने की दृष्टि से मंत्रालय और इसके संगठनों के जन जागरूकता कार्यकलाप कार्यान्वित किए जाते हैं। एक समिति, कार्यकलापों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने तथा समय पर उपचारी उपाय और सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए समय समय पर मीडिया योजना की समीक्षा करती है ।

8. विभाग और मंत्रालय द्वारा जल संसाधन विकास स्कीम के अन्वेषण की नियमित रूप से निगरानी की जाती है । वास्तविक प्रगति सहित वित्तीय प्रगति की निगरानी प्रति माह की जाती है । इस संबंध में प्रगति के बारे में आम जनता को अवगत कराने के लिए संबंधित संगठनों को संबंधित वेबसाइटों पर वास्तविक/ वित्तीय लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि के ब्यौरों को प्रस्तुत करना तथा इसे नियमित रूप से अद्यतन करना अपेक्षित है।

अध्याय -1

मंत्रालय/विभाग के कार्यों, संगठनात्मक ढांचे के संबंध में संक्षिप्त परिचयात्मक टिप्पण, मंत्रालय/विभाग द्वारा क्रियान्वित किए गए प्रमुख कार्यक्रम/स्कीमों की सूची, इसका अधिदेश, लक्ष्य और नीतिगत ढांचा

परिचय

1.1 जल संसाधन मंत्रालय, जल के विभिन्न उपयोग में समन्वय स्थापित करने के साथ ही राष्ट्रीय संसाधन के रूप में जल के पूर्ण विकास, संरक्षण और प्रबंधन, तथा इससे संबंधित संपूर्ण राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य और समन्वय स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है ।

1.2 **कार्य नियमों के आबंटन के अनुसार इस मंत्रालय के कार्य इस प्रकार हैं ;**

1) राष्ट्रीय संसाधन के रूप में जल का विकास, संरक्षण और प्रबंधन; जल के विविध उपयोगों के संबंध में जल आयोजना का समग्र राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तथा समन्वय ।
2) राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ।
3) सामान्य नीति, तकनीकी सहायता, अनुसंधान और विकास प्रशिक्षण तथा बहुउद्देशीय, वृहद, मध्यम, लघु तथा आपातिक सिंचाई कार्यों सहित सिंचाई से संबंधित सभी मामले; नौवहन तथा जलविद्युत के लिए हाइड्रोलिक संरचनाएं; नलकूप तथा भूजल अन्वेषण तथा दोहन; भूजल संसाधनों की सुरक्षा तथा परिरक्षण; सतही और भूजल का संयुक्त उपयोग, कृषि प्रयोजन के लिए सिंचाई, जल प्रबंधन, कमान क्षेत्र विकास; जलाशय एवं जलाशय अवसादन का प्रबंधन; बाढ़ (नियंत्रण) प्रबंधन, जल निकास, सूखारोधन; जल जमाव और समुद्र- तट कटाव समस्याएं; बांध सुरक्षा ।
4) अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों का विनियमन और विकास । स्कीमों, नदी बोर्डों के माध्यम से अधिकरणों के पंचाटों का कार्यान्वयन ।
5) जल कानून, विधान ।
6) जल गुणवत्ता आकलन ।
7) केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा (समूह क) का संवर्ग नियंत्रण एवं प्रबंधन ।
8) जल संसाधन विकास तथा प्रबंधन, जल निकास और बाढ़ नियंत्रण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन, आयोग तथा सम्मेलन ।
9) अंतर्राष्ट्रीय जल कानून ।
10) भारत तथा पड़ोसी देशों की साझी नदियों से संबंधित मामले, बांग्लादेश के साथ संयुक्त नदी आयोग, सिन्धु जल संधि 1960; स्थाई सिन्धु आयोग ।
11) जल संसाधन विकास के क्षेत्र में द्विपक्षीय तथा बाह्य सहायता एवं सहयोग कार्यक्रम ।

1.3 मंत्रालय के उपर्युक्त कार्य इसके निम्न संगठनों/संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं :

संबद्ध कार्यालय

1. केन्द्रीय जल आयोग
2. केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला

अधीनस्थ कार्यालय

1. केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केन्द्र
2. केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड
3. फरक्का बैराज परियोजना
4. गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग
5. बाण सागर नियंत्रण बोर्ड
6. सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति
7. ऊपरी यमुना नदी बोर्ड

सांविधिक निकाय

1. ब्रह्मपुत्र बोर्ड
2. बेतवा नदी बोर्ड
3. नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण
4. तुंगभद्रा बोर्ड
5. रावी और व्यास जल अधिकरण
6. कावेरी जल विवाद अधिकरण
7. कृष्णा जल विवाद अधिकरण
8. वंशधारा जल विवाद अधिकरण
9. महादायी जल विवाद अधिकरण

स्वायत्त निकाय (सोसाइटी)

1. राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
2. राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

1. जल एवं विद्युत परामर्शी सेवा (भारत) लिमिटेड
2. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड

1.4 यह मंत्रालय 2010-11 के दौरान 15 केन्द्रीय क्षेत्र, और 5 राज्य क्षेत्र स्कीमों का कार्यान्वयन और निगरानी कर रहा है । नीचे केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमों का संक्षिप्त सिंहावलोकन दिया गया है :

1.4.1 जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास : इस स्कीम का उद्देश्य एक जल संसाधन प्रणाली का विकास करना और इसे शीघ्रतिशीघ्र प्रचालनात्मक बनाना है । जल संसाधनों का प्रबंधन एक अत्यधिक जटिल कार्य है जिसमें आंकड़ा प्राप्ति, अंकीय मॉडलिंग, इष्टतमीकरण, आँकड़ा वेयर हाउसिंग और सामाजिक-आर्थिक, पर्यावरणीय और विधिक मुद्दों सहित बहुविषयक क्षेत्र शामिल हैं। मानव जीवन में जल की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए जल प्रणालियों के बेहतर डिजाइन और अधिकतम उपयोग किए जाने की आवश्यकता है । इस संबंध में एक युक्तिसंगत विश्लेषण किया जाना चाहिए जो कि इस दृष्टिकोण पर आधारित हो कि सभी संबंधित कारणों और प्रभावों पर विचार किया जाए और विभिन्न विकल्पों का क्रमबद्ध मूल्यांकन किया जाए । जल संसाधन सूचना प्रणाली संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ।

1.4.2 जल विज्ञान II परियोजना : 1995-2003 की अवधि के दौरान प्रारंभ जल विज्ञान परियोजना, चरण-I (एच पी-I) का उद्देश्य जल वैज्ञानिक सूचना प्रणाली (एच आई एस) के विकास हेतु संस्थानिक व्यवस्थाओं, तकनीकी क्षमताओं तथा सुविधाओं में सुधार करना था। एच पी-I, के अनुवर्तन स्वरूप जल संसाधनों की आयोजना तथा प्रबंधन से संबंधित सार्वजनिक तथा निजी सभी संभावित प्रयोक्ताओं द्वारा एच आई एस के निरंतर एवं प्रभावी उपयोग का विस्तार एवं संवर्धन करने के उद्देश्य से जल विज्ञान परियोजना चरण-II (एच पी-II) आरंभ की गई है जिससे 13 राज्यों तथा 8 केंद्रीय अभिकरणों में बढ़ी हुई उत्पादकता तथा लागत प्रभावी जल संबंधी निवेशों में वृद्धि हुई।

1.4.3 जल संसाधन विकास स्कीम का अन्वेषण : इसमें दो संघटक उदाहरणार्थ " एन डब्ल्यू डी ए द्वारा नदी संपर्क प्रस्तावों का अन्वेषण " तथा "सी डब्ल्यू सी द्वारा जल संसाधनों/बहु उद्देशीय स्कीमों का अन्वेषण" शामिल हैं। इस स्कीम का उद्देश्य सर्वेक्षण, क्षेत्र अन्वेषण, जल के अंतरबेसिन अंतरण संबंधी स्कीमों तथा उपरोक्त प्रयोजनों को प्राप्त करने के लिए आकस्मिक, अनुपूरक अथवा प्रेरक माने जाने वाले अन्य अध्ययनों तथा क्रियाकलापों को करने सहित विभिन्न जल संसाधन विकास स्कीमों की व्यवहार्यता पूर्व/व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआरएस) और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआरएस) तैयार करने से संबंधित क्रियाकलापों को करना है। हाल ही में सीडब्ल्यूसी द्वारा ग्यास्पा एवं बुरसर परियोजना की डीपीआर और अंत:राज्यीय संपर्कों की डीपीआर को तैयार करना, स्कीम के अंतर्गत शामिल किया गया है ।

1.4.4 जल क्षेत्र के लिए अनुसंधान और विकास कार्यक्रम : इस स्कीम के उद्देश्य हैं - (i) देश की जल संसाधन संबंधी समस्याओं का व्यावहारिक समाधान ढूंढ़ना और मौजूदा सुविधाओं की कुशलता में सुधार करने के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकी और अभियंत्रण विधियों में सुधार करना तथा प्रक्रियाओं, विशेषकर, अनुसंधान अध्ययनों को शुरू करना, (ii) अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से सामंजस्य बनाये रखने के लिए राष्ट्र स्तरीय प्रमुख संगठनों/संस्थाओं की अनुसंधान सुविधाओं का सृजन करना/ उनका उन्नयन करना, और (iii) जल क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं द्वारा शुरू किए जाने वाले अनुसंधान कार्य में सहायता करना ।

1.4.5 राष्ट्रीय जल अकादमी : इस स्कीम में ऐसे क्रियाकलाप शामिल होंगे जो कि जल संसाधन विकास विशेषकर एकीकृत नदी बेसिन आयोजना और प्रबंधन के क्षेत्र में राज्य और केन्द्रीय संगठनों में जल संसाधन पेशवरों के प्रशिक्षण से संबंधित हैं ।

1.4.6 सूचना, शिक्षा और संचार : इस स्कीम के मुख्य उद्देश्य हैं - (i) किफायती जल उपायों को अपनाये जाने के लिए राष्ट्रीय जल नीति के सिद्धांतों को बढ़ावा देना, (ii) लोगों के बीच में उपलब्ध जल को उचित ढंग से इस्तेमाल करने की आवश्यकता के संबंध में जागरूकता फैलाना, (iii) जल की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्षा जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी उपायों को अपनाये जाने की आवश्यकता के संबंध में जागरूकता फैलाना, (iv) जल संतुलन बनाये रखने और लोगों की जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में पारंपरिक जल निकायों के महत्व पर जोर देना, (v) जल के संरक्षण को एक जन अभियान बनाना तथा नागरिकों को जल बचाने संबंधी विभिन्न उपायों को स्वैच्छिक रूप से अपनाने के लिए प्रेरित करना ।

1.4.7 नदी बेसिन संगठन/प्राधिकरण : इस स्कीम का उद्देश्य बेसिन और सभी पणधारियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जल संसाधनों के विकास और उपयोग हेतु इष्टतम विधि का पता लगाने हेतु आवश्यक अध्ययन, मूल्यांकन इत्यादि शुरू करने के लिए सभी सह बेसिन राज्यों के लिए एक मंच उपलब्ध कराना है।

1.4.8 अवसंरचना विकास : इस स्कीम में भूमि और भवन तथा सूचना और प्रौद्योगिकी विकास से संबंधित क्रियाकलाप शामिल हैं तथा इसमें विशेष रूप से निम्न से संबंधित क्रियाकलाप शामिल होंगे, (i) केन्द्रीय जल आयोग की भूमि और भवन, (ii) सीजीडब्ल्यूबी की भूमि और भवन, (iii) जल संसाधन मंत्रालय का सूचना प्रौद्योगिकी विकास और (iv) केन्द्रीय जल आयोग के कम्प्यूटरीकरण और सूचना प्रणाली का उन्नयन और आधुनिकीकरण ।

1.4.9 बांध सुरक्षा अध्ययन और आयोजना : इस स्कीम में बांध सुरक्षा संगठन के बांध सुरक्षा और अवसंरचना सुदृढ़ीकरण से संबंधित आवश्यक अध्ययन शुरू करने की योजना है ।

1.4.10 **भूजल प्रबंधन और विनियमन** : इस स्कीम के मुख्य उद्देश्य निम्नवत हैं :

- भूजल प्रबंधन अध्ययन करना;
- भूजल की संभावना वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए ड्रिलिंग द्वारा सहायता प्राप्त भूजल अन्वेषण करना;
- देश के भूजल संसाधनों का आवधिक रूप से आकलन करना और प्रविधि को संशोधित/अद्यतन करना;
- भूजल प्रेक्षण कुओं के माध्यम से भूजल स्तरों और गुणवत्ता की निगरानी करना;
- क्षेत्र विशिष्ट आधारित प्रविधियों को विकसित/अद्यतन करने के लिए प्रदर्शनात्मक कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन अध्ययन करना;
- भूजल संबंधी आंकड़ों के भंडारण, प्रक्रमण और प्रचार-प्रसार के लिए आंकड़ा भंडारण और सूचना-प्रणाली स्थापित/अद्यतन करना;
- राज्य सरकारों के समन्वय से भूजल विकास को विनियमित और नियंत्रित करना;

- क्षमता वाले जलभृतों का पता लगाने और भूजल अन्वेषण और कृत्रिम पुनर्भरण इत्यादि संबंधी उपयुक्त स्थलों को विनिर्दिष्ट करने के लिए सतही और उप-सतही विधियों के माध्यम से भूभौतिकी अध्ययन करना;
- भूजल अध्ययनों के लिए बेंच मार्क प्रविधियों को स्थापित करने के दृष्टिकोण से राज्य सरकारों के साथ समन्वय करना;
- जागरूकता और जल गुणवत्ता संबंधी जानकारी को बढ़ावा देना;
- भूजल की बचत और बंटवारे के पहलुओं पर वैज्ञानिक संस्थाओं के साथ संपर्क विकसित करना;
- कृषि, औद्योगिक और संबद्ध प्रयोजनों संबंधी उपयोग सहित विभिन्न प्रकार के उपयोगों के लिए उपयुक्तता निर्धारित करने के वास्ते भूजल गुणवत्ता का आकलन करना;
- योजनाकारों और प्रशासकों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए रिपोर्टें, नक्शे, भूजल एटलस और विवरणिकाएं तैयार करना।

1.4.11 **राजीव गांधी प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान** : इस स्कीम में भूजल संसाधनों की आयोजना, अन्वेषण, विकास, प्रबंधन, संवर्धन, संरक्षण और परिरक्षण के संबंध में भूजल कार्मिकों के ज्ञान और कौशल का संगठन और उन्नयन करने के लिए आधार उपलब्ध कराने संबंधी क्रियाकलाप शामिल होंगे ।

1.4.12 **पगलादिया बांध परियोजना** : इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य असम के नलबारी क्षेत्र में 40,000 हेक्टेयर क्षेत्र को पगलादिया नदी की बार-बार आने वाली बाढ़ से बचाने तथा वार्षिक रूप से (औसतन) 54,160 हेक्टेयर के सकल कमान क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बांध और नहर प्रणाली का निर्माण करना है । तथापि, असम सरकार द्वारा जिरात सर्वेक्षण के पूरा न होने समेत विभिन्न मुद्दों के कारण कार्य शुरू नहीं हो सका है तथा स्कीम के मूल्यांकन हेतु इएफसी को अभी सूचित नहीं किया गया है ।

1.4.13 **बाढ़ पूर्वानुमान** : इस स्कीम का उद्देश्य भारत में बाढ़ पूर्वानुमान और अंतर्वाह पूर्वानुमान को सुदृढ़ करना और पूर्वानुमान सूचना प्रणाली को विकसित करना है ।

1.4.14 **सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन क्रियाकलाप** : अंतर्राष्ट्रीय नदियों के संबंध में शामिल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, नदी प्रबंधन क्रियाकलापों को क्रमबद्ध ढंग से प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है जिसमें जल वैज्ञानिक प्रेक्षण, अन्वेषण और जहां कहीं आवश्यक हो वहां पड़ोसी राज्यों के सहयोग से आवश्यक बाढ़ नियंत्रण उपाय शामिल हैं । हाल ही में बिहार में कोसी में दरार को बंद करने, इच्छामती नदी के तलकर्षण को शामिल करके स्कीमों में उन्नयन का प्रस्ताव रख गया है तथा सचिव (वित्त) की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर विचार किया गया है ।

1.4.15 **फरक्का बैराज परियोजना** : फरक्का बैराज परियोजना का मुख्य उद्देश्य बैराज की सुरक्षा के लिए कटावरोधी उपायों सहित फरक्का बैराज और संबंधित संरचनाओं का प्रचालन और रखरखाव है ।

अध्याय - II

परिव्ययों और परिणामों/लक्ष्यों का विवरण : वार्षिक योजना परिणाम 2011-12

(करोड़ रूपये)

क्र.सं	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	वार्षिक योजना 2011 -12 का अनुमोदित परिव्यय	मात्रात्मक सुपुर्दगियां/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/समय सीमा	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	(क) वाटरशेड एटलस का निर्माण और 1:50000 के पैमाने पर देश की वेब सक्षम जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास (ख) जल गुणवत्ता आकलन प्राधिकरण को सहायता उपलब्ध कराना और जल गुणवत्ता आकलन के लिए अभिज्ञात	59.00	(क) जल संसाधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूआरआईएस) वेबसाइट का 30 जीआईएस परतों के साथ विस्तार/अद्यतन किया जाएगा। (ख) 878 जलवैज्ञानिक प्रेक्षण स्थलों के लिए आंकड़ों का प्रेक्षण और अन्य जल संबंधी आंकड़ों का एकत्रीकरण जारी रहेगा। (ग) हिम प्रेक्षण, जी एवं डी स्थलों पर दीर्घावधि आंकड़ों को एकत्र करना और स्नो मेल्ट रन ऑफ मॉडलों का विकास। (घ) निगरानी उद्देश्यों के लिए परियोजनाओं	(क) बेसिनवार जल वर्ष पुस्तिका तैयार करना (ख) चौथी लघु सिंचाई गणना रिपोर्ट प्रकाशित करना और पांचवी लघु सिंचाई गणना हेतु तैयारी करना (ग) इंडिया डब्ल्यूआरआईएस के लिए वेबसाइट का विस्तार/अद्यतन।	वर्ष भर कार्यकलाप को जारी रखा जाना है ।	

		अध्ययनों/कार्यक्रम का कार्यान्वयन करना। (ग) प्रभावी जल प्रबंधन एवं इष्टतम उपयोग, विशेषकर जल की कमी वाले मौसम के दौरान, नीचे नदी में वर्फ के पिघलने से आने वाले जल के आकलन के यमुना एवं चेनाब बेसिन के लिए स्नो मेल्ट रन ऑफ मॉडल विकसित करना। (घ) जल गुणवत्ता आंकड़ों को एकत्र करना एवं उनका प्रकाशन (ङ) समग्र जल संसाधन आकलन के लिए जल वैज्ञानिक प्रेक्षण केन्द्रों के नेटवर्क से आंकड़े संग्रहीत करना और इनकी विशेषताओं के लिए इनका विश्लेषण करना		के विभिन्न दौरे। (ङ) चौथी लघु सिंचाई गणना की रिपोर्ट प्रकाशित करना और पांचवी लघु सिंचाई गणना हेतु तैयारी करना।			

		(च) एआईबीपी एवं सीएडी परियोजनाओं सहित पूरे देश में चयनित चालू वृहद, मध्यम एवं ईआरएम सिंचाई परियोजनाओं की निगरानी (छ) चौथी लघु सिंचाई गणना					
2	जल विज्ञान परियोजना फेज-।।	13 राज्यों और 8 केन्द्रीय अभिकरणों में जल संसाधन आयोजना और प्रबंधन से संबंधित सभी कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा जल वैज्ञानिक सूचना प्रणाली के स्थायी और प्रभावी उपयोग को बढ़ाना और प्रोत्साहित करना ।	80.00	जलविज्ञान परियोजना फेज-।। के अंतर्गत 4 मुख्य परामर्शियों की सहायता से परियोजना घटकों का कार्यान्वयन अर्थात संस्थागत सुदृढ़ीकरण, जलवैज्ञानिक डिजाइन सहायक सहित ऊर्ध्वाधर विस्तार डीएसएस-आयोजना,डीएसएस-रीयल टाइम तथा प्रयोजन मूलक अध्ययन	(क) कार्यान्वयन अभिकरणों के बीच विनिमय के लिए उन्नत आंकड़ा सुलभता (ख) एकीकृत जल संसाधन आयोजना तथा प्रबंधन के लिए उन्नत उपस्कर (ग) बाढ़ और सूखे के प्रबंधन के लिए उन्नत आंकड़ा प्रणाली तथा उपस्कर ।	केन्द्रीय अभिकरणों अर्थात पीसीएस (जल संसाधन मंत्रालय) बीबीएमबी, सीडब्ल्यूसी, सीजीडब्ल्यूबी, सीडब्ल्यूपीआरएस, सीपीसीबी और एनआईएच के माध्यम से परियोजना जून, 2012 तक कार्यान्वित की जायेगी ।	
3	भूजल प्रबंधन और विनियमन	(i) भूजल प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए एकीकृत भूजल प्रबंधन	120	▪ भूजल प्रबंधन अध्ययन- 1.50 लाख वर्ग किलोमीटर	विकास और प्रबंधन अध्ययनों को पुन:अभिमुख करने के लिए जोर दिए जाने	एक वर्ष	मार्च,2012 तक हासिल कर लिया जाएगा ।

		अध्ययन (ii) वैज्ञानिक साधनों अर्थात दूरसंवेदी और जीआईएस का उपयोग करते हुए भूजल अन्वेषण, भूजल की संभावना वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए ड्रिलिंग द्वारा सहायता प्राप्त भूभौतिकीय सर्वेक्षण (iii) भूजल निगरानी केन्द्रों से भूजल स्तरों की निगरानी (iv) केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों के लिए स्रोत अन्वेषण के वास्ते अल्पकालिक जल आपूर्ति अन्वेषण (v) भूमि जल अन्वेषण और कृत्रिम पुनर्भरण अवसंरचनाओं तथा जलभृत्तों का पता लगाने के लिए स्थलों का चयन करने हेतु भू-भौतिक		▪ भूजल अन्वेषण - 800 कुएं ▪ भूजल प्रेक्षण कुओं की निगरानी - 15640 ▪ अल्पकालिक जल आपूर्ति अन्वेषण - आवश्यकता आधारित (~300) ▪ भूभौतिकी सर्वेक्षण वीईएस- 2000 वेल लागिंग-आवश्यकता आधारित ▪ जल नमूनों का जल रसायनिक विश्लेषण- 20000 जल नमूने ▪ जिला रिपोर्ट- 40 ▪ भूमि जल वार्षिक पुस्तके- 23 ▪ राज्य रिपोर्टे 8 ▪ अधिसूचित क्षेत्रों में भूमि जल विकास का विनियमन	वाले क्षेत्रों में भूमि जल प्रबंधन योजनाएं उपलब्ध कराना । क्षमतावान जलभृत्तों और उनके उत्पादन का चित्रण भूमि जल परिप्रेक्ष्य का आकलन रक्षा तथा अन्य संगठनों हेतु ऐसे जल स्रोतों का पता लगाना जिनसे जलापूर्ति में वृद्धि हो। क्षमतावान जलभृत्तों तथा कुओं के स्थलों का चयन विविध उपयोगों हेतु भूमि जल गुणवत्ता का विश्लेषण ------- भूमि जल की बेहतर	एक वर्ष एक वर्ष एक वर्ष एक वर्ष एक वर्ष एक वर्ष जारी	

		अध्ययन (vi) भूमि जल गुणवत्ता के आकलन के लिए रसायनिक अध्ययन (vii) योजनाकारों और प्रशासकों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए रिपोर्ट, नक्शे तैयार किया जाना (viii) सीजीडब्ल्यूए द्वारा भूमि जल विनियमन (ix) राज्य सरकार और अन्य अभिकरणों द्वारा भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण हेतु प्रदर्शनात्मक परियोजना ताकि उसे प्रतिवलित किया जा सके।		▪ कृत्रिम पुनर्भरण अध्ययन (नए)- ओई/गंभीर/शहरी क्षेत्र आदि परियोजनाएं शामिल करना ▪ पिछले वर्षों के अध्ययनों को जारी रखना	निगरानी हेतु भूमि जल की कमी वाले क्षेत्रों को अधिसूचित करना एआर और आरडब्ल्यूएच के माध्यम से भूमि जल का स्थायी प्रबंधन	2-3 वर्ष	
4	जल संसाधन विकास	नदी संपर्क प्रस्ताव, विस्तृत परियोजना रिपोर्टें	54.00	(क) राज्य सरकारों द्वारा यथा प्रस्तावित अंतरबेसिन जल अंतरण संपर्क की शेष 8 (2+6) एफआर रिपोर्ट और अंत: राज्यीय	(क) राज्य सरकारों में यथा प्रस्तावित अंत:राज्यीय संपर्कों की	जल अंतरण संपर्क परियोजना रिपोर्टों की जांच/तैयारी का कार्य	प्रायद्वीपीय/ हिमालयी घटक के

	स्कीमों का अन्वेषण	(डीपीआर), व्यवहार्यता रिपोर्टें (एफआर) तैयार करने और अंत:राज्यीय संपर्क प्रस्तावों की व्यवहार्यता पूर्व रिपोर्टों की तैयारी तथा उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु संयोगिक, पूरक अथवा प्रेरक समझे जाने वाले कार्यों के संबंध में सर्वेक्षण, क्षेत्र अन्वेषण से जुड़े कार्यकलाप करना ।		पीएफआर/एफआर/डीपीआर तैयार करना जारी रहेगा । (ख) पार-तापी-नर्मदा और दमनगंगा-पिंजाल संपर्क (दिसम्बर, 2011 तक कार्य जारी रखने का लक्ष्य) हेतु सर्वेक्षण, क्षेत्र अन्वेषण और विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) तैयार करना । (ग) आईबीडब्ल्यूटी परियोजना के अन्वेषण का कार्य जारी रखना ।	8 एफआर, 2 डीपीआर और पीएफआर/डीपीआर तैयार करना । (ख) आईबीडब्ल्यूटी परियोजना के अन्वेषण का कार्य जारी रखना ।	एक वर्ष से अधिक अवधि में किया जाता है तथा बाद के वर्षों में चला जाता है।	अंतर्गत विभिन्न अंतरबेसिन/ अंत:राज्यीय संपर्कों की डीपीआर की तैयारी हेतु संबंधित राज्यों की सहमति अपेक्षित है। पड़ोसी देशों के क्षेत्र में सर्वेक्षण एवं अन्वेषण करने के लिए उनकी अनुमति भी अपेक्षित है।
5	जल क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम	स्कीम में जल संसाधन क्षेत्र में अनुसंधान व विकास से जुड़े विभिन्न कार्य शामिल हैं । ये कार्य जल विज्ञान, हाइड्रोलिक्स, मृदा और सामग्री विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान जैसे अग्रणी अनुसंधान संस्थानों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे	46.19	स्कीम के कार्यान्वयन से क्षमता निर्माण और अतिरिक्त सुविधाएं सृजित करने में सहायता मिलेगी । अनुसंधान परिणाम सामान्यतया तकनीकी रिपोर्टें और अनुसंधान पत्र होते हैं जिनमें आयोजना और डिजाइन हेतु बेहतर तकनीक की सिफारिशें होती हैं । मात्रात्मक सुपुर्दगियां इस प्रकार है- अनुसंधान/तकनीकी रिपोर्टें - 307 अनुसंधान पत्र - 275 प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं - 30	-------	कार्य, मंत्रालय के विभिन्न संगठनों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है।	

		हैं ।					
6	राष्ट्रीय जल अकादमी	इंजीनियरों/इंडक्शन इंजीनियरों को जल संसाधन आयोजना, विकास और प्रबंधन में सेवाकालीन प्रशिक्षण	3.00	क) 37 प्रशिक्षण कार्यक्रम ख) तरणताल व्यायामशाला का निर्माण ग) 2 कक्षाओं, 1 कंप्यूटर प्रयोगशाला का निर्माण, कृष्णा छात्रावास का विस्तार घ) एचपी -II के अंतर्गत टाइप II, III,IV और V आवासीय क्वार्टरों का निर्माण ।	-------	क) 37 प्रशिक्षण कार्यक्रम मार्च, 2012 तक पूरे किए जाने हैं ख) मार्च, 2012 तक पूरा किया जाना है । ग) मार्च, 2012 तक पूरा किया जाना है । घ) मार्च, 2012 तक पूरा किया जाना है ।	
7	राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान	सीजीडब्ल्यूबी तथा अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकार के संगठनों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भूमि जल पहलुओं के संबंध में प्रशिक्षण	3.00	32 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	भूमि जल अन्वेषण, विकास तथा प्रबंधन तकनीकों और प्रशासनिक मामलों व प्रबंधन पहलुओं के विषय में पेशेवरों व उप-पेशेवरों का क्षमता निर्माण	एक वर्ष	मार्च, 2012 तक पूरा किया जाएगा ।
8	सूचना शिक्षा और संचार	जल के महत्व और इसके संरक्षण की आवश्यकता के बारे में लोगों के बीच जानकारी सृजित करना।	25.00	1.इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से दूरदर्शन, आकाशवाणी और निजी टी वी और रेडियो चैनलों पर जल संरक्षण संबंधी आडियो/वीडियो स्पॉट चला रक प्रचार करना (5 महीने) 2. इन्टरनेट साईट जैसे फेसबुक, ट्विटर इत्यादि के माध्यम से सामाजिक एवं जन संचार द्वारा जन जागरूकता लाना 3. कार्यशालाओं/सेमिनारों का संचालन और भागीदारी करना (50 कार्यक्रम) 4. समाचार पत्रों, पत्रिकाओं इत्यादि सहित प्रिंट माध्यम से प्रचार करना 5. विज्ञापन,	जल संरक्षण और प्रबंधन पर जोर देते हुए जल संसाधन क्षेत्र के संबंध में प्रचार और जागरूकता फैलाना।	पूरे वर्ष कार्यकलाप चलाये जाएंगे	

				मुद्रित सामग्री का मुद्रण और वितरण करना 6.परंपरावादी मीडिया, नुक्कड़ नाटकों, कठपुतली तमाशें इत्यादि द्वारा अभियान चलाना 7. विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रमों अर्थात वाद-विवाद, चित्रकला/प्रश्नमंच प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन करना. 8.जन संचार यातायात वाहनों द्वारा प्रचार करना . 9. हवाई अड्डों, बस स्टापों, रेलवे स्टेशनों इत्यादि जैसे विशेष स्थानों पर चित्र लगाना 10.अधिक आवाजाही के स्थानों जैसे प्रगति मैदान इत्यादि पर प्रदर्शनी लगाना 11. वृत्तचित्रों, लघु फिल्मों, कार्टून फिल्मों, आडियों/वीडियो स्पाट तैयार करना और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से इन्हें दिखाया जाना (2 फिल्में) 12. विशेष दिनों जैसे विश्व जल दिवस, जल संसाधन दिवस को मनाया जाना 13.सिंचाई मंत्रियों/प्रधान सचिवों/जल संबधी मंत्रालयों के सचिवों के साथ सेमिनार, कार्यशालाओं का आयोजन करना (2 कार्यक्रम) 14.जल क्षेत्र से संबंधित मुद्दों हेतु जागरूकता फैलाने के लिए हाफ मैराथन का आयोजन करना 15. देश के विभिन्न भागों में विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रमों तथा जल प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 16. केंद्रीय भूमि जल बोर्ड/केंद्रीय जल आयोग द्वारा देश के विभिन्न भागों में जल यात्रा का आयोजन करना, 17. देश के 35 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विद्यालय स्तर, राज्य स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर पर चित्रकला प्रतिस्पधाओं			

				का आयोजन करना 18.सम्मेलन/कार्यशालाओं/जन जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के लिए चैंबर आफ कामर्स/प्रसिद्ध संगठनों को सहायता अनुदान/वित्तीय सहायता जारी करना, 19. सार्वजनिक संगठनों, किसान संगठनों, पंचालतों इत्यादि के सशक्तीकरण के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करना 20. XIIवीं योजना के दौरान आईईसी गतिविधियां के कार्यान्वयन और भविष्य की आयोजना हेतु मीडिया परामर्शदाताओं को नियुक्त करना।			
9	पगलादिया बांध परियोजना	बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और अनुषंगी विद्युत उत्पादन	0.01	विद्यमान स्थान पर अभी कोई क्रियाकलाप नहीं किया गया है। तथापि, ब्रह्मपुत्र बोर्ड विद्यमान स्थल के प्रतिप्रवाह मं वैकल्पिक स्थल खोज रहा है। परियोजना हेतु सृजित संपत्ति संबंधी केवल अनुसंधान एवं रखरखाव कार्य सीमित कर्मचारियों द्वारा किया जाता है।	परियोजना का कार्यान्वयन करने से 54,160 हे. अतिरिक्त सिंचाई और 40,000 हे. भूमि पर बाढ़ नियंत्रण कार्य किया जा सकेगा।	ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा क्रियाकलाप कार्यान्वित किए जाने हैं।	
10	फरक्का बैराज परियोजना	(क) पोषक नहर, जांगीपुर बैराज आदि सहित फरक्का बैराज परियोजना और इसके अनुषंगी संरचनाओं का रखरखाव (ख) मुख्य बैराज के किनारे नदी को नियंत्रित करने के लिए गंगा नदी और इसकी वितरिकाओं से लगे तटबंधों की सुरक्षा के	70.40	(क) पोषक नहर, जांगीपुर बैराज आदि सहित फरक्का बैराज परियोजना और इसके अनुषंगी संरचनाओं का रखरखाव और स्पेयर गेटों का अधिप्राप्ति आदि। (ख) एफबीपी के बढ़े हुए अधिकार क्षेत्र में गंगा- पदमा नदी के साथ-साथ फरक्का बैराज के 40 किमी प्रति प्रवाह से 80 किमी अनुप्रवाह तक कटाव नियंत्रण कार्य शुरू किए जाएंगें ताकि भूमि/फसलों, बागों सार्वजनिक भवनों इत्यादि की सुरक्षा की जा	फरक्का और जांगीपुर बैराजों/गेटों का प्रचालन एक जारी रहने वाला क्रियाकलापों। कटाव नियंत्रण कार्यों से भूमि, फसलों, भवनों आदि को बचाया जाएगा जो प्रतिवर्ष उच्च बाढ़ के कारण कटाव से प्रभावित होती है।	फरक्का बैराज परियोजना द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले अभिज्ञात क्रियाकलाप। क्रियाकलाप वर्ष भर जारी रहेंगे।	

		लिए कटावरोधी कार्य		सके।	टीएसी द्वारा चालू कार्यों के अतिरिक्त 5 नए कटावरोधी कार्यों को किए जाने की अनुशंसा की है ।		
11	बांध सुरक्षा अध्ययन और आयोजना	1. यंत्रीकरण प्रदर्शन केंद्र का गठन करना 2. बांध सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन और सिंधु और कृष्णा बेसिन तथा गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिनों के लिए पीएमपी एटलस तैयार करना और डिजीटाइजेशन करना और बांध सुरक्षा आश्वासन एवं पुनर्वास परियोजना के तहत एचएसओ द्वारा तैयार किए गए एटलसों का उन्नयन करना।. 3. व्यवसायिक सेवाओं के अंतर्गत पर्यावरणीय एवं सामाजिक आकलन (ईएसए) अध्ययन करना। 4. व्यवसायिक सेवाओं के अंतर्गत अभिज्ञात परियाजनाओं हेतु जोखिम विश्लेषण अध्ययन और अन्य विशेषीकृत अध्ययन	3.00	यंत्रीकरण प्रदर्शन केंद्र के लिए नमूनों/निर्धारित स्थलों का अधिप्राप्ति सामान्यीकृत पीएमपी एटलसें तैयार करना और उनका डिजिटीकरण। गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन के लिए परामर्शदाता और पीएमपी एटलसों का उन्नयन करना । मुल्ला पेरियार बांध संबंधी अधिकार प्राप्त समिति । बांध सुरक्षा संबंधी विभिन्न अंतर्देशीय प्रशिक्षण देना	--------	यंत्रीकरण प्रदर्शन केंद्र हतु नमूने-फिक्सचरों की अधिप्राप्ति-3/2012 सामान्य पीएमपी एटलसों को तैयार करना और डिजीटीकरण करना, गंगा और ब्रह्मपुत्र बसिनों के लिए परामर्शदाताओं से संपर्क करना और पीएमपी एटलसों का उन्नयन करना-3/2012 इ मुल्ला पेरियार बांध संबंधी अधिकारप्राप्त समिति का गठन करना-3/2012 बांध सुरक्षा संबंधी विभिन्न अंतर्देशीय प्रशिक्षण देना3/2012	

		करना। 5. बांध सुरक्षा गतिविधियों संबंधी विशेष प्रयोजन पैकेजों का प्रशिक्षण एवं विकास					
12	नदी बेसिन संगठन/प्राधिक रण	महानदी और गोदावरी बेसिन के सबंध में नदी बेसिन संगठन का गठन	4.00	गतिविधियों को प्रारंभ करने के लिए मामले को राज्य सरकार के साथ उठाया जाना है।	-------	-------	
13	बाढ़ पूर्वानुमान	स्थानीय प्रशासन को 175 केन्द्रों पर समय से पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए 20 नदी बेसिनों को शामिल करते हुए केन्द्रीय जल आयोग द्वारा देशभर में जल वैज्ञानिक प्रेक्षण स्थलों के नेटवर्क का रखरखाव करना।	36.00	वास्तविक समय आंकड़ों का संग्रह, इसका विश्लेषण और बाढ़ पूर्वानुमान जारी करना। प्रत्येक वर्ष लगभग 6000 बाढ़ पूर्वानुमान जारी किये जाते हैं।	बाढ़ से होने वाली क्षति को कम करने के लिए आयोजना गतिविधियों में मदद करने की दृष्टि से आने वाली बाढ़ की अग्रिम चेतावनी । 2011-12 के दौरान 123 टेलीमेट्री केंद्रों की संस्थापना का कार्यक्रम है।	कार्य को वर्ष 2011-12 के दौरान केंद्रीय जल आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।	
14	नदी प्रबंधन गतिविधियाँ और सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधति कार्य	साझी/सीमावर्ती नदियों पर नदी प्रबंधन कार्यों के अतिरिक्त पड़ोसी देशों के साथ जल संसाधन परियोजनाओं एवं जल वैज्ञानिक प्रेक्षण और अन्वेषण । ब्रह्मपुत्र बोर्ड	188.00	(i) बंगलादेश के साथ गंगा नदी पर संयुक्त जल वैज्ञानिक प्रेक्षण जारी रखना, एवं (ii) संयुकत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी (iii)माजुली द्वीप समूह काकटाव-रोधी एवं बाढ़ सुरक्षा कार्य (iv) पड़ोसी देशों से/को बाढ़ संबंधी आंकड़ों का संप्रेषण (v) साझी/ सीमा नदियों पर	बार-बार आने वाली बाढ़ समस्याओं को करना। वर्ष 2011-12 के दौरान 18 स्थलों पर भारत बंगलादेश सीमा पर तट संरक्षण कार्य किए जाएंगे । ये कार्य त्रिपुरा	इसे सीडब्ल्यूसी, जीएफसीसी, ब्रह्मपुत्र बोर्ड और बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और जम्मू एवं कश्मीर की राज्य सरकारों द्वारा	*नेपाल के क्षेत्र में कार्यों की प्रगति नेपाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर

		द्वारा बाढ़ नियंत्रण, कटावरोधी एवं जल निकास विकास कार्य। कोसी एवं गंडक परियोजनाओं (नेपाल में) के बाढ़ सुरक्षा कार्यों का रखरखाव		विकास कार्य । (vi) बंगलादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इच्छामती नदी का अवसादन करना	और पश्चिम बंगाल क्षेत्र में हैं ।	कार्यान्वित किया जाएगा।	निर्भर करेगी।
15	अवसंरचना विकास	जल संसाधन मंत्रालय एवं इसके संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालयों भूमि एवं इमारत की व्यवस्था एवं जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल आयोग एवं केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में आईटी प्लान का कार्यान्वयन ।	28.40	(क) केन्द्रीय जल आयोग एवं सीजीडब्ल्यूबी के लिए कार्यालय एवं आवासीय इमारतों का निर्माण एवं अन्य गतिविधियां (ख) सीडब्ल्यूसी, सीजीडब्ल्यूबी और मंत्रालय (खास) के लिए हार्डवेयर, साफ्टवेयर की अधिप्राप्ति और एक रूप वेब सक्षम सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली का विकास	इन क्रियाकलापों से कार्य के वातावरण में गुणवत्तापरक वृद्धि होगी जिससे कार्य क्षमता में वृद्धि होगी।	ये गतिविधियां केन्द्रीय जल आयोग, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड और जल संसाधन मंत्रालय के अन्य संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जानी है ।	
16	कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम	किसानों की सामाजिक-आर्थिक दशा सुधारने के लिए जल उपयोग दक्षता एवं प्रति इकाई भूमि से फसल का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से किसानों के खेतों तक सिंचाई जल की पर्याप्त वितरण	500.00 (प्रस्तावित)	(i) 0.35 मि. हे. के ओएफडी कार्य (फील्ड चैनल एवं भूमि समतलीकरण क्षेत्र सीमाओं को आकृति एवं पुन: संरेखन करना) (ii) 0.140 मि. हे. फील्ड, मध्यम एवं संपर्क वाहिकाएं (iii) 0.026 मिलियन हेक्टेयर में 4.25 क्यूमेक तक की क्षमता वाली प्रणालियों में प्रणालीगत कमियों में सुधार।	सृजित क्षमता एवं प्रयुक्त क्षमता के बीच के अंतर को समाप्त करने के लिए (क) खेत विकास कार्य (ओएफडी) करना (ख) सहभागिता सिंचाई प्रबधन (पीआईएम) का कार्यान्वयन करना (ग) आवाजाही की कमियों में	राज्य सरकार द्वारा कार्यकलापों को जारी रखा जाएगा और परियोजना कार्यान्वयन किया जाएगा।	

		प्रणाली विकसित करना			सुधार करना और (घ) जल गृसित, लवणीय और क्षारीय भूमि का सुधार करना।		
17	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	(क) अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने एवं (ख) इन परियोजनाओं से परिकल्पित लाभ लेने की दृष्टि से निर्माण की अंतिम अवस्था में चल रही सिंचाई/बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं को पूरा करना जो कि राज्य सरकार की इन्हें समयबद्ध रूप से पूरा करने में संसाधन क्षमता से परे हैं ।	14000.00 (प्रस्तावित))	1.05 मि. हे. सिंचाई क्षमता का सृजन करने का लक्ष्य है तथा 15 वृहद/मध्यम परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य है।	1.05 मि. हे. सिंचाई क्षमता का सृजन किया जाना है तथा 15 वृहद/मध्यम परियोजनाओं को पूरा किया जाना है।	पूरे वर्ष गतिविधियाँ जारी रखी जानी है।	
18	जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार	जल निकायों की भंडारण क्षमता को बहाल करना और संवर्धन करना और उनकी सिंचाई क्षमता को पुन: प्राप्त करना और बढ़ाना।	550.00 (प्रस्तावित)	दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों को निधियाँ जारी करना। परियोजनाओं का समवर्ती मूल्यांकन पहले ही कर लिया गया है।	वर्ष 2011-12 के दौरान 3000 जल निकायों का पुनरूद्धार पूरा करना। जल निकायों की आरआरआर स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करना।	स्कीमें जारी रखी जा रही हैं।	
19	बाढ़ पुन: स्थापन और	ओवर साईट परियोजना से संबंधित कार्यकलाप	5.00 (प्रस्तावित)	केंद्रीय जल आयोग में केंद्रीय परियोजना मानीटरिंग एकक स्थापित करने हेतु लागत	-------	स्कीम हेतु ईएफसी स्वीकृति प्राप्त की	

	सुधार कार्यक्रम	करना तथा ड्रिप परियोजना का समन्वय करना जिसमें केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु में 223 वर्तमान बांधों की पुन:स्थापना करने केंद्रीय जल आयोग में केंद्रीय स्तर की बांध सुरक्षा का संस्थागत सुदृढ़ीकरण करने की परिकल्पना की गई है।		की पूर्ति का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान केवल घरेलू घटक (20%) हेतु किया गया है क्योंकि बकाया (80%) अंश विश्‍व बैंक से एक के बाद एक वित्त सहायता के रूप में लिया जाएगा।		जानी है।	
20	बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम	देश में गंभीर क्षेत्रों में नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, कटावरोधी, जल विकास निकास, बाढ़ रोधी कार्यों के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।	2500.00 (प्रस्तावित)	(i) गंभीर क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंध कार्य (ii) गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन राज्यों के संबंध में बाढ़ प्रबंधन और कटाव नियंत्रण पर कार्यबल-2004 द्वारा सुझाए गए कटावरोधी कार्य, जल निकास विकास कार्य आदि (iii) तटवर्ती राज्यों में तटीय कटाव संबंधी कार्य। (iv) चुनिंदा खंडों में नदी सेक्शनों की गाद हटाना/खुदाई।	इन क्रियाकलापों से बाढ़, नदी तट कटाव और तटीय कटाव के कारण होने वाली क्षति में कमी लाने में सहायता मिलेगी 86 एफएमपी सहायता प्राप्त बाढ़ प्रबंधन कार्य पूरे किए जाएंगे।	एफएमपी के अंतर्गत स्कीमों हेतु राज्यों को केंद्रीय सहायता उनके द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर जारी की जाएगी। केंद्रीय सहायता जारी करने के संबंध में सचिव (व्यय) की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा नए प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।	

अध्याय- III

सुधारात्मक उपाय और नीतिगत प्रयास

3.1 जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना में आठ राष्ट्रीय मिशनों के सांस्थानीकरण की परिकल्पना की गई है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ "राष्ट्रीय जल मिशन" शामिल है। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा एक परामर्शी प्रक्रिया द्वारा तैयार किये गए राष्ट्रीय जल मिशन संबंधी व्यापक मिशन दस्तावेज पर जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रधानमंत्री परिषद द्वारा विचार किया गया है और जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रधानमंत्री परिषद द्वारा 28.05.2010 को आयोजित की गई इसकी बैठक में इस पर सिद्धांतत: अनुमोदन दे दिया गया है।

3.2 राष्ट्रीय जल नीति की समीक्षा करना एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस संबंध में राष्ट्रीय जल नीति की समीक्षा करने के लिये जल संसाधन संबंधी संसदीय स्थायी समिति, जल संसाधन मंत्रालय के लिये परामर्शदात्री समिति और जल संरक्षण एवं प्रबंधन संबंधी संसदीय फोरम के माननीय सदस्यों के साथ परामर्शी बैठक नई दिल्ली में 28 जुलाई, 2010 को आयोजित की गई थी। शिक्षाविदों, विशेषज्ञों और पेशेवरों के साथ एक गहन विचार-विमर्श सत्र भी नई दिल्ली में 26 अक्तूबर, 2010 को आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय जल नीति के संबंध में गैर-सरकारी संगठनों के साथ एक परामर्शी बैठक 11-12 जनवरी, 2011 को आयोजित की गई थी।

3.3 **नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी कार्यक्रम** : सह-बेसिन राज्यों की सहमति के बाद अंतर्राज्यीय संपर्कों की डीपीआर तैयार करने के लिये राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) का अधिदेश एनडब्ल्यूडीए सोसाइटी की चौथी विशेष आम बैठक में अनुमोदित किया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा (क) अंतर्राज्यीय संपर्कों की डीपीआर, (ख) सीडब्ल्यूसी द्वारा हिमाचल प्रदेश की ग्यासपा और जम्मू एवं कश्मीर की बरसर की डीपीआर को शामिल करने के लिये एनडब्ल्यूडीए और सीडब्ल्यूसी के कार्यक्षेत्र में विस्तार करने हेतु संशोधित ईएफसी को अनुमोदित कर दिया गया है।

3.4 **बांध सुरक्षा विधेयक :** बांध सुरक्षा अधिनियम के अधिनियमन के लिये कार्रवाई शुरू की गई है जिसमें देश में बांधों की उचित निगरानी, जांच, प्रचालन एवं रखरखाव की प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी।

बांध सुरक्षा विधेयक लोक सभा में 30.8.2010 को लाया गया और जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति को जांच के लिये भेजा गया है।

3.5 तीस्ता, फेनी और कुछ अन्य साझा नदियों के जल के बंटवारे के संबंध में कार्य योजना बनाने के लिये भारत और बांगलादेश के बीच सचिव स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी।

अध्याय - IV

विगत निष्पादन की समीक्षा

4.1 वर्ष 2009-10 के दौरान निष्पादन तथा 2010-11 के निष्पादन (पहले निर्धारित लक्ष्यों के संबंध में) संबंधी संगत सूचना **अनुलग्नक -I** और **अनुलग्नक - II पर दी गई है।**

4.2 इस मंत्रालय का एक मुख्य कार्यक्रम 'त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम' और 'राष्ट्रीय परियोजना' है। इसके ब्यौरे **अनुलग्नक - III** में दिये गये हैं।

अध्याय - V

समग्र वित्तीय समीक्षा

5.1 XIवीं योजना परिव्यय सहित जल संसाधन मंत्रालय बजट (निधि के स्कीमवार आबंटन की तुलना में व्यय की प्रवृत्ति) के ब्यौरे **अनुलग्नक - IV** पर दर्शाये गये हैं।

वित्त वर्ष 2010- 11 में व्यय का रूझान :

5.2 वर्ष 2010-11 के लिए इस मंत्रालय की वार्षिक योजना के लिए बजट प्राक्कलन 700.00 करोड़ रूपये है जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन में कम करके 560.00 करोड़ रूपये कर दिया गया था। लेखा नियंत्रक के कार्यालय से प्राप्त व्यय संबंधी ब्यौरे के अनुसार, जनवरी, 2011 तक 430.90 करोड़ रूपये का व्यय किया गया है जो 10-11 के बजट प्राक्कलन/संशोधित प्राक्कलन के संबंध में क्रमश: 61.56% और 76.95% है।

5.3 वित्त वर्ष 10-11 के लिए जल संसाधन मंत्रालय का अनुदान 4 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों के तहत दिसम्बर, 2010 तक अनुमोदित योजना परिव्यय (ब.प्रा./सं.प्रा. दोनो) तथा व्यय का क्षेत्रवार वितरण संक्षेप में इस प्रकार है:

(रूपये करोड़ में)

क्षेत्र	ब.प्रा. 2010-11	सं.प्रा. 2010-11	जनवरी, 2011 तक व्यय
वृहद एवं मध्यम सिंचाई	251.00	181.60	142.99
लघु सिंचाई	116.50	91.40	76.74
बाढ़ नियंत्रण	250.50	225.00	171.08
परिवहन क्षेत्र	82.00	62.00	39.83
स्थानान्तरण के लिए प्रविष्टि प्रतीक्षित	0.00	0.00	0.26
कुल	**700.00**	**560.00**	**430.90**

बजट एक झलक

5.4 जल संसाधन क्षेत्र में, केन्द्रीय बजट से जल संसाधन मंत्रालय और इसके संबद्ध संगठनों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से क्रियान्वित स्कीमों, परियोजनाओं और कार्यक्रमों के संबंध में समग्र मार्गदर्शन और समन्वय की भूमिका निभाने में सहयोग मिलता है। फरक्का बराज परियोजना एक ऐसी परियोजना है जो कि मुख्यत: नौवहन परियोजना है, परन्तु यह मंत्रालय के अधीन है क्योंकि इसमें कौशल और विविध क्षेत्र शामिल होते हैं और यह मंत्रालय के क्षेत्र के भीतर अन्य हाइड्रोलिक परियोजनाओं की भांति है। जल संसाधन विकास के संबंध में मंत्रालय की भूमिका आयोजना, मार्गदर्शन, नीतिनिरूपण और सहायता की होती है।

5.5 चंकि 'जल' राज्य का विषय है इसलिए केन्द्र की भूमिका अनिवार्यत: कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में उत्प्रेरक स्वरूप की होती है। इसलिए केन्द्र सरकार के बजट को विभिन्न राज्य सरकारों के बजटों में प्रदान की गई निधियों द्वारा बढ़ाया जाता है।

5.6 मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजना स्कीमें निम्नानुसार है :

केन्द्रीय क्षेत्र

1. जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास
2. जल विज्ञान परियोजना
3. जल संसाधन विकास का अन्वेषण
4. अनुसंधान और विकास कार्यक्रम
5. राष्ट्रीय जल अकादमी
6. सूचना, शिक्षा और संचार
7. बांध सुरक्षा अध्ययन और आयोजना
8. नदी बेसिन संगठन/प्राधिकरण
9. भूमि जल प्रबंधन और विनियमन
10. राजीव गांधी एनजीडब्ल्यूटीएण्डआरआई
11. बाढ़ पूर्वानुमान
12. नदी प्रबंधन कार्यकलाप और सीमावर्ती नदियों से सवंबंधित कार्य
13. पगलादिया बांध परियोजना
14. अवसंरचना विकास
15. फरक्का बैराज परियोजना

राज्य क्षेत्र स्कीमें

16. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम
17. जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार
18. बांध पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम
19. बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम
20. कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम

5.7 पिछले-2 वर्षों में आबंटित और घटित व्यय बजट दर्शाने वाला विवरण तुलनात्मक तालिका-क और ख में दी गई है । विभिन्न क्षेत्रों (तालिका क) के बीच निधि के आबंटन और जिस रूप में मंत्रालय का व्यय हुआ है (तालिका ख) के संबंध में मंत्रालय के बजट में उल्लेख किया गया है ।

5.8 बकाया उपयोग प्रमाण पत्रों के संबंध में ब्योरा तालिका 'ग' में दिया गया है।

तालिका - क

बजट एक दृष्टि में

(क्षेत्रवार)

(रूपये करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र/संगठन/ स्कीम	वास्तविक 2009-10		ब.प्रा. 2010-11		सं.प्रा. 2010-11		ब.प्रा. 2011-12		कुल ब.प्रा. 2011-12
		योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	**सचिवालय आर्थिक सेवाएं**									
1.	जल संसाधन मंत्रालय	0.00	27.51	0.00	24.52	0.00	56.63	0.00	57.17	57.17
2.	रावी-व्यास जल अधिकरण	0.00	1.17	0.00	1.04	0.00	0.90	0.00	0.97	0.97
3.	कावेरी जल विवाद अधिकरण	0.00	2.15	0.00	1.93	0.00	2.26	0.00	2.36	2.36
4.	कृष्णा जल विवाद अधिकरण	0.00	1.79	0.00	1.76	0.00	1.63	0.00	1.78	1.78
5.	वंशधारा जल विवाद अधिकरण	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.19	0.00	4.16	4.16
6.	महादयी जल विवाद अधिकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.00	3.54	3.54
	कुल : सचिवालय आर्थिक सेवाएं	**0.00**	**32.62**	**0.00**	**31.25**	**0.00**	**63.44**	**0.00**	**69.98**	**69.98**
II.	**वृहद एवं मध्यम सिंचाई**									
	केंद्रीय जल आयोग									
1.	निर्देशन एवं प्रशासन	0.00	25.56	0.00	20.90	0.00	22.59	0.00	23.82	23.82
2.	आंकड़ा संग्रह	0.00	82.02	0.00	65.13	0.00	86.70	0.00	87.75	87.75
3.	प्रशिक्षण	0.00	0.38	0.00	0.32	0.00	0.33	0.00	0.35	0.35
4.	अनुसंधान	0.00	2.90	0.00	1.84	0.00	2.37	0.00	2.54	2.54
5.	सर्वेक्षण एवं अन्वेषण	0.00	9.52	0.00	5.02	0.00	5.54	0.00	5.69	5.69
6.	परामर्शी	0.00	25.45	0.00	18.84	0.00	22.23	0.00	23.83	23.83
7. 8.	अंतर्राष्ट्रीय निकायों का अंशदान जल पर जल संसाधन संबंधी सेमिनार एवं सम्मेलन	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01
9.	प्रदर्शनी एवं व्यापार मेला	0.00	0.14	0.00	0.01	0.00	0.10	0.00	0.09	0.09
10.	उपस्कर का आधुनिकीकरण सीडब्ल्यूसी आफसेट प्रेस	0.00	0.32	0.00	0.24	0.00	0.27	0.00	0.29	0.29
11.	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की मानीटरी के लिए प्रकोष्ठ	0.00	0.63	0.00	0.65	0.00	0.98	0.00	1.04	1.04
12.	जल आयोजना स्कंध	0.00	1.38	0.00	1.06	0.00	1.86	0.00	2.06	2.06

क्र. सं.	क्षेत्र/संगठन/ स्कीम	वास्तविक 2009-10		ब.प्रा. 2010-11		सं.प्रा. 2010-11		ब.प्रा. 2011-12		कुल ब.प्रा. 2011-12
		योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
13.	चेनाब बेसिन में जल वैज्ञानिक प्रेक्षण	0.00	2.08	0.00	1.70	0.00	1.97	0.00	2.02	2.02
14.	राष्ट्रीय जल अकादमी	2.53	0.00	4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00
	कुलः केंद्रीय जल आयोग	**2.53**	**150.38**	**4.00**	**115.72**	**3.00**	**144.96**	**3.00**	**149.50**	**152.50**
15.	केंद्रीय मृदा सामग्री अनुसंधानशाला	0.00	7.63	0.00	5.92	0.00	7.80	0.00	8.31	8.31
16.	केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला	0.00	36.12	0.00	25.47	0.00	33.06	0.00	35.67	35.67
17.	राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान	0.00	10.04	0.00	6.50	0.00	9.80	0.00	8.50	8.50
18.	सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति	0.00	0.90	0.00	0.63	0.00	0.74	0.00	0.81	0.81
19.	बाण सागर नियंत्रण बोर्ड	0.00	0.21	0.00	0.20	0.00	0.23	0.00	0.24	0.24
20.	सतलज यमुना संपर्क नहर परियोजना	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	8.94	0.00	2.06	2.06
21.	ऊपरी यमुना नदी बोर्ड	0.00	0.53	0.00	1.82	0.00	1.82	0.00	1.90	1.90
22.	अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम	32.85	0.00	54.00	0.00	42.00	0.00	46.19	0.00	46.19
23.	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	63.10	0.00	66.00	0.00	41.42	0.00	58.94	0.00	58.94
24.	जल विज्ञान परियोजना	21.54	0.00	53.00	0.00	31.00	0.00	80.00	0.00	80.00
25.	जल संसाधन विकास स्कीमों का अन्वेषण	37.01	0.00	54.00	0.00	46.00	0.00	54.00	0.00	54.00
26.	सूचना, शिक्षा एवं संचार	10.85	0.00	15.00	0.00	14.10	0.00	25.00	0.00	25.00
27.	नदी बेसिन संगठन/प्राधिकरण	0.00	0.00	0.50	0.00	0.01	0.00	4.00	0.00	4.00
28.	बांध सुरक्षा अध्ययन एवं आयोजना	0.34	0.00	1.50	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	3.00
29.	अवसंरचना विकास	1.28	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00
	कुल : वृहद एवं मध्यम सिंचाई	**169.50**	**205.81**	**250.93**	**176.26**	**181.53**	**207.35**	**277.13**	**206.99**	**484.12**
III.	**लघु सिंचाई**									
1.	केंद्रीय भूमि जल बोर्ड	0.00	108.81	0.00	98.31	0.00	102.29	0.00	105.02	105.02
2.	राजीव गांधी एनजीडब्ल्यूटीआर आई	1.78	0.00	6.00	0.00	3.40	0.00	3.00	0.00	3.00

क्र. सं.	क्षेत्र/संगठन/ स्कीम	वास्तविक 2009-10		ब.प्रा. 2010-11		सं.प्रा. 2010-11		ब.प्रा. 2011-12		कुल ब.प्रा. 2011-12
		योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.	भूजल प्रबंधन एवं विनियमन	68.82	0.00	100.00	0.00	78.00	0.00	120.00	0.00	120.00
4.	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.06	0.00	0.06
5.	अवसंरचना विकास	2.15	0.00	10.50	0.00	10.00	0.00	11.40	0.00	11.40
	कुल : लघु सिंचाई	**72.75**	**108.81**	**116.50**	**98.31**	**91.47**	**102.29**	**134.46**	**105.02**	**239.48**
IV.	**बाढ़ नियंत्रण**									
	केंद्रीय जल आयोग									
1.	बाढ़ आंकड़ा संग्रह	0.00	65.35	0.00	53.77	0.00	69.76	0.00	72.39	72.39
2.	बाढ़ पूर्वानुमान एवं चेतावनी केंद्रों के रखरखाव के लिए भूटान सरकार को भुगतान	0.00	1.06	0.00	1.02	0.00	1.02	0.00	1.08	1.08
3.	ब्रह्मपुत्र एवं बराक बेसिन में बाढ़ पूर्वानुमान एवं जल वैज्ञानिक नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण	0.00	2.12	0.00	1.95	0.00	1.60	0.00	1.88	1.88
	कुल : केंद्रीय जल आयोग	**0.00**	**68.53**	**0.00**	**56.74**	**0.00**	**72.38**	**0.00**	**75.35**	**75.35**
4.	पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्रों में आपातिक बाढ़ सुरक्षा उपाय	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00
5.	पगलादिया बांध	0.00	0.00	0.50	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
6.	बाढ़ पूर्वानुमान	17.38	0.00	36.00	0.00	25.00	0.00	36.00	0.00	36.00
7.	सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित नदी प्रबंधन गतिविधियां एवं कार्य	159.46	0.00	199.00	0.00	188.49	0.00	188.00	0.00	188.00
8.	अवसंरचना विकास	4.25	0.00	15.00	0.00	11.50	0.00	14.00	0.00	14.00
	कुल : बाढ़ नियंत्रण	**181.09**	**71.53**	**250.50**	**59.74**	**225.00**	**75.38**	**238.01**	**78.35**	**316.36**
V.	**अन्य परिवहन सेवाएं**									
1.	फरक्का बैराज परियोजना	68.95	32.62	82.00	33.10	62.00	33.82	70.40	35.29	105.69
2.	जंगीपुर बैराज	0.00	2.21	0.00	2.27	0.00	2.34	0.00	2.46	2.46
3.	पोषक नहर	0.00	3.86	0.00	4.07	0.00	4.74	0.00	4.64	4.64
	कुल : परिवहन सेवाएं	**68.95**	**38.69**	**82.00**	**39.44**	**62.00**	**40.90**	**70.40**	**42.39**	**112.79**
	कुल : (I से V) *	**492.29**	**457.46**	**700.00**	**405.00**	**560.00**	**489.36**	**720.00**	**502.73**	**1222.73**

क्र. सं.	क्षेत्र/संगठन/ स्कीम	वास्तविक 2009-10		ब.प्रा. 2010-11		सं.प्रा. 2010-11		ब.प्रा. 2011-12		कुल ब.प्रा. 2011-12
		योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
VI.	एआईबीपी एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम	8524.39	0.00	11500.00	0.00	9500.00	0.00	12620.00	0.00	12620.00
	कुल जोड	9016.68	457.46	12200.00	405.00	10060.00	489.36	13340.00	502.73	13842.73

*वित्त का स्रोत : *वर्ष 2011-12 के लिए जल संसाधन मंत्रालय की मांग सं. 104 (एआईबीपी को छोड़कर)*

*** मांग संख्या 35 में दर्शाए गए विवरण-वित्त मंत्रालय (राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अंतरित)*

तालिका- ख

बजट एक दृष्टि में

(व्यय का प्रकार)

(करोड़ रूपये में)

क्रम सं.	क्षेत्र/संगठन/स्कीम	वास्तविक 2009-10		ब. प्रा. 2010-11		सं.प्रा. 2010-11		ब.प्रा. 2011-12		कुल
		योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	ब.प्रा. 2011-12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
क.	प्रत्यक्ष व्यय									
1.	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	0.00	32.62	0.00	31.25	0.00	63.44	0.00	69.98	69.98
2.	केंद्रीय जल आयोग :									
	-वृदह एवं मध्यम सिंचाई	2.53	150.38	4.00	115.72	3.00	144.96	3.00	149.50	152.50
	-बाढ़ नियंत्रण	0.00	68.53	0.00	56.74	0.00	72.38	0.00	75.35	75.35
3.	केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला	0.00	7.63	0.00	5.92	0.00	7.80	0.00	8.31	8.31
4.	केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला	0.00	36.12	0.00	25.47	0.00	33.06	0.00	35.67	35.67
5.	कंद्रीय भूमि जल बोर्ड	0.00	108.81	0.00	98.30	0.00	102.29	0.00	105.02	105.02
6.	राजीव गांधी एनजीडब्ल्यूटीआरआई	1.78	0.00	6.00	0.00	3.40	0.00	3.00	0.00	3.00
7.	फरक्का बैराज परियोजना	68.95	38.69	82.00	39.44	62.00	40.90	70.40	42.39	112.79
8.	बोर्ड एवं समितियां	0.00	1.64	0.00	2.66	0.00	2.79	0.00	2.95	2.95
	कुल : प्रत्यक्ष व्यय	**73.26**	**444.42**	**92.00**	**375.50**	**68.40**	**467.62**	**76.40**	**489.17**	**565.57**
ख.	**जारी की गई राशि**									
(क)	**स्वायत्त निकायों को अनुदान**									
1.	राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान	0.00	10.04	0.00	6.50	0.00	9.80	0.00	8.50	8.50
2.	अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम									
	-वृहद एवं मध्यम सिंचाई	32.85	0.00	54.00	0.00	42.00	0.00	46.19	0.00	46.19
3.	पगलादिया बांध परियोजना	0.00	0.00	0.50	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
	उप-जोड़ (क) स्वायत्त निकायों को अनुदान	**32.85**	**10.04**	**54.50**	**6.50**	**42.01**	**9.80**	**46.20**	**8.50**	**54.70**
(ख)	**बाढ़ नियंत्रण/कटावरोधी कार्यों के लिए राज्यों को सहायता**									
1.	पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्रों में आपातिक बाढ़ सुरक्षा उपाय	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00
	उप-जोड़ (ख) : बाढ़ नियंत्रण/कटावरोधी कार्यों के लिए राज्यों को सहायता	**0.00**	**3.00**	**0.00**	**3.00**	**0.00**	**3.00**	**0.00**	**3.00**	**3.00**
(ग)	**राज्य सिंचाई स्कीमें**									
1.	सतलज यमुना संपर्क नहर	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	8.94	0.00	2.06	2.06
	कुल : जारी की गई कुल राशि **(क से ग)**	32.85	13.04	54.50	29.50	42.01	21.74	46.20	13.56	59.76
	कुल (क+ख)*	106.11	457.46	146.50	405.00	110.41	489.36	122.60	502.73	625.33

क्रम सं.	क्षेत्र/संगठन/स्कीम	वास्तविक 2009-10		ब. प्रा. 2010-11		सं.प्रा. 2010-11		ब.प्रा. 2011-12		कुल
		योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	ब.प्रा. 2011-12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
ग	**अन्य योजना स्कीमें** **वृहद एवं मध्यम सिंचाई**									
1.	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	63.10	0.00	66.00	0.00	41.42	0.00	58.94	0.00	58.94
2.	जल विज्ञान परियोजना	21.54	0.00	53.00	0.00	31.00	0.00	80.00	0.00	80.00
3.	जल संसाधन विकास स्कीमों का अन्वेषण	37.01	0.00	54.00	0.00	46.00	0.00	54.00	0.00	54.00
4.	सूचना, शिक्षा और संचार	10.85	0.00	15.00	0.00	14.10	0.00	25.00	0.00	25.00
5.	नदी बेसिन संगठन/प्राधिकरण	0.00	0.00	0.50	0.00	0.01	0.00	4.00	0.00	4.00
6.	बांध सुरक्षा अध्ययन और आयोजना	0.34	0.00	1.50	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	3.00
7.	अवसंरचना विकास	1.28	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00
	कुल : वृहद एवं मध्यम सिंचाई	**134.12**	**0.00**	**193.00**	**0.00**	**136.53**	**0.00**	**227.94**	**0.00**	**227.94**
	लघु सिंचाई									
1.	भूजल प्रबंधन और विनियमन	68.82	0.00	100.00	0.00	78.00	0.00	120.00	0.00	120.00
2.	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.06	0.00	0.06
3.	अवसंरचना विकास	2.15	0.00	10.50	0.00	10.00	0.00	11.40	0.00	11.40
	कुल : लघु सिंचाई	**70.97**	**0.00**	**110.50**	**0.00**	**88.07**	**0.00**	**131.46**	**0.00**	**131.46**
	बाढ़ नियंत्रण									
1.	बाढ़ नियंत्रण	17.38	0.00	36.00	0.00	25.00	0.00	36.00	0.00	36.00
2.	नदी प्रबंधन गतिविधियां और सीमावर्ती क्षेत्र संबंधी कार्य अवसंरचना विकास	159.46	0.00	199.00	0.00	188.49	0.00	188.00	0.00	188.00
3.	अवसंरचना विकास	4.25	0.00	15.00	0.00	11.50	0.00	14.00	0.00	14.00
	कुल : बाढ़ नियंत्रण	**181.09**	**0.00**	**250.00**	**0.00**	**224.99**	**0.00**	**238.00**	**0.00**	**238.00**
	कुल : क+ख+ग	**492.29**	**457.46**	**700.00**	**405.00**	**560.00**	**489.36**	**720.00**	**502.73**	**1222.73**
घ	**एआईबीपी और दूसरे जल संसाधन कार्यक्रम****	**8524.39**	**0.00**	**11500.00**	**0.00**	**9500.00**	**0.00**	**12620.00**	**0.00**	**12620.00**
	कुल जोड़ (क+ख+ग+घ)	**9016.68**	**457.46**	**12200.00**	**405.00**	**10060.00**	**489.36**	**13340.00**	**502.73**	**13842.73**

वित्त का स्रोत : * 2011-2012 के लिए जल संसाधन मंत्रालय मांग सं. 104 (एआईबीपी को छोड़कर)

** मांग संख्या 35 में दर्शाए गए विवरण - वित्त मंत्रालय (राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को अंतरित)

तालिका -ग

31.03.2008. तक जारी किए गए अनुदान/ऋण के संबंध में बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र

मंत्रालय/विभाग का नाम: जल संसाधन मंत्रालय

01.10.2010 तक की स्थिति

मार्च, 08 तक जारी अनुदानों के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्रों की संख्या	शामिल राशि (रूपये करोड़ में)	प्राप्त उपयोग प्रमाण पत्रों की संख्या	प्राप्त उपयोग प्रमाण पत्रों में में शामिल राशि	01.10.2010 को बकाया उपयोग प्रमाण पत्रों की संख्या	बकाया उपयोग प्रमाण पत्रों में शामिल राशि (रूपये करोड़ में)
1	2	3	4	5	6
255 (संस्थान और स्वायत्त निकाय)	87.34	116	71.90	139	15.44
40* (राज्य सरकारें)	333.48	25	292.97	17	40.51

*विभिन्न राज्य सरकारों को जारी अनुदान/ऋणों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण-पत्रों का ब्यौरा

एसएमडी का नाम	मार्च,08 तक जारी अनुदानों के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्रों की संख्या	शामिल राशि (रूपये करोड़ में)	प्राप्त उपयोग प्रमाण पत्रों की संख्या	प्राप्त उपयोग प्रमाण पत्रों में शामिल राशि	01.10.2010 को बकाया उपयोग प्रमाण पत्रों की संख्या	बकाया उपयोग प्रमाण पत्रों में शामिल राशि (रूपये करोड़ में)
	1	2	3	4	5	6
लघु सिंचाई	2	0.04	0	0	2	0.04
गंगा स्कंध	13	14.29	8	7.47	7	6.82
कमान क्षेत्र विकास	25	319.15	17	285.50	8	33.65
कुल (#)	40	333.48	25	292.97	17	40.51

(#) सभी उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की प्राप्ति ना होने के कारण।

अध्याय VI

सांविधिक/स्वायत्त संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य निष्पादन की समीक्षा

सांविधिक निकाय:

6.1 ब्रह्मपुत्र बोर्ड:

6.1.1 गठन: ब्रह्मपुत्र बोर्ड का गठन ब्रह्मपुत्र एवं बराक घाटी में बाढ़ नियंत्रण तथा तट कटाव और इससे संबंधित मामलों के लिए उपायों की आयोजना और एकीकृत कार्यान्वयन के उद्देश्य से 1980 में संसद के अधिनियम (1980 का अधिनियम 46 अर्थात "ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम") द्वारा किया गया था। गुवाहाटी, असम में अपने मुख्यालय के साथ इसने 11 जनवरी, 1982 से कार्य करना शुरू किया। बोर्ड के कार्यक्षेत्र में ब्रह्मपुत्र एवं बराक घाटियों और त्रिपुरा की नदियां शामिल हैं। जैसा कि अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ में अधिसूचित किया गया था, अरूणाचल प्रदेश, असम और मेघालय राज्य, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा राज्यों के कुछ भाग कार्यक्षेत्र में शामिल किये गये थे। जून, 2006 में सिक्किम और ब्रह्मपुत्र बेसिन में आने वाला पश्चिम बंगाल का कुछ भाग शामिल करके कार्यक्षेत्र में विस्तार किया गया है।

6.1.2 मुख्य कार्य :

अधिनियम के अनुसार बोर्ड के प्रमुख कार्य ब्रह्मपुत्र घाटी में सर्वेक्षण एवं अन्वेषण और ब्रह्मपुत्र घाटी के जल संसाधनों के सिंचाई, जल विज्ञान, नौवहन एवं अन्य उपयोग उद्देश्यों के लिए विकास एवं उपयोग को उचित महत्व देते हुए बाढ़ नियंत्रण एवं तट कटाव और जल निकास में सुधार के लिए मास्टर योजनाएं तैयार करना है । इसे प्रदत्त कार्यों में केन्द्र सरकार द्वारा यथा अनुमोदित मास्टर योजना में अभिज्ञात किये गए बांधों एवं अन्य परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना और केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं और मास्टर योजना में यथा प्रस्तावित इससे संबंधित अन्य कार्यों का निर्माण एवं रखरखाव और ऐसे बांधों एवं कार्यों का रखरखाव एवं प्रचालन भी शामिल है ।

6.1.3 उत्तर पूर्व क्षेत्र के जल संसाधनों की वर्ष 2010-11 के दौरान ब्रम्हपुत्र बोर्ड ने/विस्तृत आयोजना और प्रलेखन का कार्य जारी रखा और मास्टर प्लान तैयार किए। जल संसाधन मंत्रालय ने ब्रम्हपुत्र बोर्ड द्वारा तैयार की गई बरोई सब बेसिन के लिए एक सह बेसिन मास्टर योजना का अनुमोदन भी है। ब्रम्हपुत्र बोर्ड न मास्टर प्लान को राज्य सरकारों को कायान्वयन के लिए भेजा है।

6.1.4 ब्रम्हपुत्र बोर्ड ने तुरंत उपायों के रूप में 5.92 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से वर्ष 2003.04 में माजुली द्वीप में कटावरोधी कार्य शुरू किए हैं और वर्ष 2004-05 में पूरे किए हैं। इन कार्यों के क्रम में चरण-1 के तहत सुरक्षात्मक कार्य किए गए और कार्य लगभग पूरे होने वाले हैं (अनुमानित लागत 56.07 करोड़ रूपये) । ब्रम्हपुत्र बोर्ड ने वर्ष 2008 में विशेषकर स्थायी समिति की सिफारिश पर माजुली द्वीप की सुरक्षा के लिए आकस्मिक कार्य (4.99 करोड़ रूपए

की अनुमानित लागत) किए। वर्तमान में बोर्ड चरण-I और चरण-II के कार्य (115.03 करोड़ रूपये) कर रहा है।

6.1.5 लोहित और दिबांग नदियों को उनके मूल मार्गों पर लाने के उद्देश्य से ब्रम्हपुत्र बोर्ड ने 2003-04 में चरणबद्ध ढ़ंग से कार्य शुरू किए थे। कार्यों के ये चरण यानि-चरण-I (10.47 करोड़ रूपये)। चरण-II (49- करोड़ रूपए) और अंतिम चरण-III (8.47 करोड़ रूपये) 2007-08 तक पूरे किए गए। चरण -iv (23 करोड़ रूपये) प्रगति पर है।

6.1.6 ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने सात जल निकास विकास स्कीमों (डीडीएस) अर्थात हारंग (30.49 करोड़ रूपये), बारभग (7.23 करोड़ रूपये), अमजुर (18.84 करोड़ रूपये), जेंगराई (1.49 करोड़ रूपये), जकाईचुक (2.96 करोड़ रूपये), बारपेटा का पूर्व (1.34 करोड़ रूपये), और सिंगला (3.54 करोड़ रूपये) का निष्पादन शुरू किया है। इन स्कीमों के निष्पादन में की गई प्रगति क्रमश: 98%, 28.24%, 16%, 27%, 45%, 42% और 3% है।

6.1.7 ब्रह्मपुत्र बोर्ड बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा निष्पादन के अंतर्गत स्कीमों की निगरानी करता है जिसमें राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है।

6.2 रावी और व्यास जल अधिकरण:

6.2.1 रावी और व्यास जल अधिकरण जो कि पंजाब समझौता ज्ञापन के अनुसार अप्रैल 1986 में स्थापित किया गया था, उसने जनवरी 1987 में अपने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। यह रिपोर्ट मई 1987 में संबंधित राज्य सरकारों को भेज दी गई। केन्द्रीय सरकार द्वारा सन्दर्भ तथा रिपोर्ट के कतिपय बिन्दुओं के संबंध में स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों से प्राप्त हुए संदर्भों से युक्त एक और संदर्भ अगस्त 1987 में अधिकरण को भेजा गया। यह अधिकरण 09.03.89 से लेकर 17.11.96 तक तथा 04.01.99 से लेकर 09.06.2003 तक काम नहीं कर सका था क्योंकि इन अवधियों के दौरान सदस्य का पद खाली पड़ा रहा। 10.06.2003 को पद के भरे जाने के बाद अधिकरण सुनवाई करता रहा है लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने पंजाब समझौता समापन अधिनियम 2004 पर राष्ट्रपति संदर्भ के निलंबित होने के कारण सुनवाई स्थगित करनी पड़ी। अध्यक्ष की मृत्यु और सदस्य द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के कारण अधिकरण की कार्यप्रणाली पुन: प्रभावित हुई है।

6.3 कावेरी जल विवाद अधिकरण:

6.3.1 अन्तर्राज्यीय नदी कावेरी और उसकी नदी घाटी के संबंध में जल विवाद पर अधिनिर्णय देने के लिए 2 जून, 1990 को भारत सरकार द्वारा कावेरी जल विवाद अधिकरण (सी डब्ल्यू डी टी) का गठन किया गया था । अधिकरण ने अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 5(2) के तहत अपनी रिपोर्ट और निर्णय 05.2.2007 को प्रस्तुत किया । संबंधित राज्यों ने इस अधिनियम की धारा 5(3) के अंतर्गत स्पष्टीकरण और मार्गदर्शन की मांग की है । पक्षकार राज्यों ने अधिकरण के दिनांक 05.02.2007 के निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय विशेष अनुमति याचिका दायर की है । पक्षकार राज्यों और पांडिचेरी संघराज्य क्षेत्र तथा केन्द्र सरकार की ओर से अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 5(3) के

अंतर्गत दायर की गई याचिका पर अधिकरण द्वारा 10.7.2007 को विचार किया गया । माननीय अधिकरण ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पक्षकार राज्यों ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष 5 फरवरी, 2007 के अधिकरण के निर्णय के विरूद्ध विशेष अनुमति याचिका दायर की है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति मंजूर की है तथा यह माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है । माननीय अधिकरण ने यह आदेश दिया कि अधिकरण द्वारा आगे की कार्रवाई तभी की जाएगी जब विशेष अनुमति याचिका पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय उपलब्ध हो जाता है । विशेष अनुमति याचिका की प्राथमिक सुनवाई दिनांक 12 मई, 2009 और 20.09.2009 को माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष हुई और मामले पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विचार किया जा रहा है । सरकार द्वारा अधिकरण का कार्यकाल 02.11.2011 तक बढ़ा दिया गया है ।

6.4 कृष्णा जल विवाद अधिकरण:

6.4.1 अन्तर्राज्यीय नदी कृष्णा एवं इसकी नदी घाटियों के जल के बटवारे से संबंधित विवादों के अधिनिर्णय के लिए 2 अप्रैल, 2004 को कृष्णा जल विवाद अधिकरण (के डब्ल्यू डी टी) का गठन किया गया था । आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार केडब्ल्यूडीटी का कार्यकाल 01.04.2009 तक बढ़ा दिया गया था। इसी बीच आंध्र प्रदेश द्वारा दायर की गई रिट याचिका में माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि अधिकरण के गठन की प्रभावी दिनांक 01.02.06 होगी। परिणामस्वरूप अधिकरण का कार्यक्रम का कार्यकाल 31.12.2010 तक बढ़ा दिया गया है।

6.4.2 अधिकरण ने अधिनियम की धारा 5(2) के तहत 30.12.2010 को अपनी रिपोर्ट और निर्णय अग्रेषित किया। पक्षकार राज्य और केन्द्रीय सरकार अधिकरण के दिनांक 30.12.2010 की रिपोर्ट और निर्णय पर अधिकरण का स्पष्टीकरण और दिशानिर्देश प्राप्त करने के लिए तीन महीने के भीतर अधिकरण को आवेदन भेज सकते हैं और ऐसी स्थिति में अधिकरण रिपोर्ट अग्रेषित करेगा।

6.5 वंसधारा जल विवाद अधिकरण

6.5.1 वंसधारा जल विवाद अधिकरण (वीडब्ल्यूडीटी) का गठन भारत सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय नदी वंसधारा और संबंधित नदी घाटी के संदर्भ में जल विवाद का न्यायनिर्णयन करने के लिये 24 फरवरी, 2010 को किया गया था।

6.6 महादायी जल विवाद अधिकरण

6.6.1 महादायी जल विवाद अधिकरण (एमडब्ल्यूडीटी) का गठन भारत सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय नदी महादायी और संबंधित नदी घाटी के संदर्भ में जल विवाद का न्यायनिर्णयन करने के लिये 16 नवंबर, 2010 को किया गया था।

स्वायत्त निकाय (सोसाइटियां):

6.7 राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

6.7.1 जल संसाधन मंत्रालय (एम ओ डब्ल्यू आर) और केन्द्रीय जल आयोग (सी डब्ल्यू सी) ने 1980 में जल संसाधन विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एन.पी.पी.) तैयार की जिसमें देश में जल की अधिकता वाले क्षेत्रों से जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल के अन्तर बेसिन हस्तांरण की योजना है जिसमें दो घटक अर्थात हिमालयी नदी विकास घटक और प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक शामिल है । राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण का गठन जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के प्रसतावों की व्यवहार्यता स्थापित करने तथा इसे मूर्त रूप देने के वास्ते भिन्न-भिन्न प्रकार का तकनीकी अध्ययन करने के लिए सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में जुलाई, 1982 में किया गया था ।

6.7.2 समय-समय पर यथासंशोधित राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के उद्देश्य निम्नवत हैं:

क) प्रायद्वीपीय नदी विकास और हिमालयी नदी विकास घटकों के प्रस्ताव की व्यवहार्यता स्थापित करने के लिए संभावित जलाशय स्थलों के विस्तृत सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य करना और संपर्कों को आपस में जोड़ना जो तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय (अब जल संसाधन मंत्रालय) और केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तैयार की गई जल संसाधन विकास संबंधी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के हिस्सा हैं ।

ख) विभिन्न प्रायद्वीपीय नदी प्रणलियों और हिमालयी नदी प्रणालियों और जिन्हें भविष्य में बेसिन राज्यों की वास्तविक आवश्यकताएं पूरी करने के पश्चात अन्य बेसिनों/राज्यों को हस्तांरित किया जा सकता हो, में जल की मात्रा की बारे में विस्तृत अध्ययन करना ।

ग) प्रायद्वीपीय नदी विकास और हिमालयी नदी विकास से संबंधित स्कीमों के विभिन्न घटकों की व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करना ।

घ) संबंधित राज्यों की सहमति के पश्चात जल संसाधन विकास संबंधी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत नदी संपर्क प्रस्तावों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना ।

ङ) राज्यों द्वारा प्रस्ताव किए जा सकने वाले अन्त: राज्य संपर्कों की व्यवहार्यता पूर्व/व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करना ।

च) ऐसी सभी अन्य कार्रवाइयां करना जो उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह सोसाइटी आवश्यक, प्रासंगिक, अनुपूरक अथवा अनुकूल समझती है ।

6.7.3 माननीय जल संसाधन मंत्री राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण सोसाइटी के अध्यक्ष हैं जो कि एन.डब्ल्यू.डी.ए. का शीर्षस्थ निकाय है । अभिकरण के कार्यक्रम और प्रगति की समीक्षा करने के लिए सोसाइटी की वार्षिक आम बैठक वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है । सचिव (जल संसाधन) की अध्यक्षता में एन डब्ल्यू डी ए का शासी निकाय प्रत्येक छ: महीने में कार्यक्रम और कार्यो की प्रगति की समीक्षा करता है । अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्ता में अभिकरण की तकनीकी सलाहकार समिति (टी एसी) अभिकरण द्वारा तैयार किए गए विभिन्न तकनीकी प्रस्तावों की जांच करती है । सभी संबंधित राज्य का इन समितियों में प्रतिनिधित्व है ।

6.7.4 विभिन्न अध्ययनों के आधार पर एनडब्ल्यूडीए ने व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) तैयार करने के लिए 30 संपर्कों (प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 16 और हिमालयी घटक के अंतर्गत 14) की

पहचान की है । इनमें से प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 14 संपर्कों एवं हिमालयी घटक के अंतर्गत 2 संपर्क (भारतीय भाग) की व्यवहार्यता रिपोर्टें पहले ही पूरी हो चुकी हैं । इसके अतिरिक्त, हिमालयी घटक के अंतर्गत अन्य 6 संपर्कों के संबंध में सर्वेक्षण एवं अन्वेषण (भारतीय हिस्सा) पूरे कर लिए गए हैं । राज्यों द्वारा प्रस्तावित 12 अंत:राज्यीय संपर्कों की व्यवहार्यता-पूर्व रिपोर्टें (पीएफआरएस) पूरी कर ली गई है ।

6.7.5 एनडब्ल्यूडीए द्वारा 2010-11 के दौरान (नवंबर 2010 तक) आईएलआर कार्यक्रम पर 23.88 करोड़ रूपये का व्यय किया गया था। वर्ष के दौरान एनडब्ल्यूडीए द्वारा विभिन्न अध्ययन जारी रखे गए। इसके अतिरिक्त, केन-बेतवा संपर्क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पूरी की गई थी और उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्य सरकार को टिप्पणियों के लिये भेजी गई थी। अब मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव के अनुसार केन-बेतवा संपर्क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट दो चरणों में तैयार किया जाना प्रस्तावित है। चरण-I की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को पूरी कर ली गई है और राज्य सरकारों को भेज दी गई है चरण-II की डीपीआर शुरू कर दी गई है और दो और संपर्कों अर्थात पार-तापी-नर्मदा और दमन गंगा-पिंजाल की डीपीआर 2009-10 के दौरान जारी रखी गई।

6.7.6 वर्ष 2011-12 के दौरान एनडब्ल्यूडीए को 41.00 करोड़ रूपये का परिव्यय प्रदान किया गया है । एनडब्ल्यूडीए यह आईएलआर कार्यक्रम के लिए आवश्यक सर्वेक्षण एवं जांच कार्य एवं उपरोक्त दो संपर्कों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी का कार्य जारी रखेगा । इसके अतिरिक्त हिमालयी घटक (भारतीय भाग) में चार संपर्कों का सर्वेक्षण एवं जांच कार्य पूर्ण करने की योजना है।

6.8 राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एनआईएच)

6.8.1 राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, जल संसाधन मंत्रालय के तहत भारत सरकार की एक संस्था है जिसकी स्थापना 1978 में रूड़की में हुई थी । जल विज्ञान और जल संसाधन विकास के क्षेत्र में मूल, अनुप्रयुक्त और नीतिगत अनुसंधान संबंधी कार्य करता है । संस्थान जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से अनुदान प्राप्त है ।

6.8.2 उद्देश्य

- जलविज्ञान के सभी क्षेत्रों में व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक कार्य करना, उसकी सहायता करना, बढ़ावा देना और समन्वय करना ।
- जलविज्ञान के क्षेत्र में अन्य राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहायता और सहयोग करना ।
- सोसायटी के लक्ष्यों के अनुसरण में एक अनुसंधान और संदर्भ पुस्तकालय स्थापित करना और बनाए रखना तथा उसे पुस्तकों, समीक्षाओं, पत्रिकाओं तथा संगत प्रकाशनों से सुसज्जित करना ; तथा
- ऐसे सभी क्रियाकलाप करना जो कि सोसायटी उन लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए जिनके

लिए संस्थान की स्थापना की गई है जरूरी, प्रासंगिक, पूरक अथवा अनुकूल समझे ।

6.8.3 **संगठन**- जल संसाधन मंत्रालय के मंत्री एनआईएच सोसाईटी के अध्यक्ष हैं और जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री उपाध्यक्ष हैं । राज्यों में सिंचाई/जल संसाधन के प्रभारी मंत्री (सोसाइटी के अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष के लिए 10 राज्यों को नामांकित किया जाता है), जल तथा जल से संबंधित क्षेत्रों में भारत सरकार के मंत्रालयों के सचिव और जल विज्ञान तथा जल संसाधन संबंधी श्रेष्ठ विशेषज्ञ सोसाइटी के सदस्य हैं । सचिव जल संसाधन, भारत सरकार संचालन समिति के अध्यक्ष है । अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा संस्थान के अनुसंधान तथा अन्य तकनीकी कार्यकलापों का मॉनिटर तथा मार्गदर्शन किया जाता है । संस्थान के निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है और वह सोसाइटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं ।

6.8.4 देश के विभिन्न क्षेत्रों के क्षेत्र विशेष जल विज्ञानीय मुद्दों के समाधान तथा क्षेत्र में राज्यों को प्रभावी समन्वय मुहैया कराने के उद्देश्य से संस्थान ने 6 क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापन की है। ये केन्द्र हैं:- कठोर चट्टानी क्षेत्रीय केन्द्र (बेलगाम), पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रीय केन्द्र (जम्मू), डेल्टीक क्षेत्रीय केन्द्र (काकीनाड़ा), गंगा मैदानी क्षेत्रीय केन्द्र (सागर), ब्रह्मपुत्र बेसिन (गुवाहाटी) के लिए बाढ़ प्रबंधन अध्ययन केन्द्र और गंगा बेसिन (पटना) के लिए बाढ़ प्रबंधन अध्ययन केन्द्र । मुख्यालय में पांच वैज्ञानिक विषयों, दो केन्द्र बाढ़ प्रबंधन अध्ययन के लिए और चार क्षेत्रीय केन्द्र के तहत संस्थान में अध्ययन तथा अनुसंधान किया जाता है । मुख्यालय में पांच वैज्ञानिक विषय है :- (i) पर्यावरणीय जल विज्ञान (ii) भूजल जल विज्ञान (iii) जल विज्ञानीय अन्वेषण (iv) सतही जल जल विज्ञान और (v) जल संसाधन प्रणाली । संस्थान में एक अनुसंधान समन्वय और प्रबंधन इकाई (आरसीएमयू) है जो विभिन्न अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों के साथ इंटरफेस उपलब्ध कराता है । संस्थान ने जल विज्ञान में नाभिकीय अनुप्रयोगों जल गुणवत्ता मृदा जल, दूर संवेदी और जीआईएस अनुप्रयोग, जल विज्ञानीय इन्स्ट्रुमेंटेशन और भूजल मॉडलिंग के क्षेत्र में नवीनतम प्रयोगशाला की सुविधा स्थापित की है ।

6.8.5 जल विज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में तकनीक के हस्तांतरण, मानव संसाधन विकास और सांस्थानिक विकास हेतु संस्थान, विशेषज्ञ केन्द्र के रूप में कार्य करता है और संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग से प्रयोक्ताओं को केन्द्र में रखते हुए मांग प्रेरित अनुसंधान संचालित करता है । फील्ड अभियंताओं, वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं, गैर सरकारी संगठनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा संस्थान उत्साहजनक रूप से क्षमता विकास कार्यकलापों को आगे बढ़ा रहा है । एनआईएच ने अब तक 150 से अधिक प्रायोजित अनुसंधान और परामर्शी परियोजनाएं पूरी कर ली है । भारतीय सेना, पीएसयू, योजना आयोग, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, राज्य सरकारी विभाग और विज्ञान तथा तकनीकी, पर्यावरण एवं वन, कृषि, ग्रामीण विकास आदि केन्द्रीय मंत्रालय प्रायोजकों में शामिल हैं । संस्थान ने कई अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषित परियोजनाएं शुरू की है जिनमें यूएनडीपी, यूएसएआइडी, यूनेस्को, विश्व बैंक, नीदरलैंड, स्वीडन, यूरोपीय संघ शामिल हैं । संस्थान वर्तमान में विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित जल विज्ञानीय परियोजना चरण-।। में भाग ले रहा है ।

6.8.6 एनआईएच के कुछ महत्वपूर्ण योगदानों में शहरों में जलापूर्ति संवर्धन तथा जल प्रबंधन, हाइड्रो-इलेक्ट्रिक विद्युत परियोजनाओं के लिए हिमालयी नदियों के धारा के बहाव में ग्लेशियर

के योगदान, वाटरशेड विकास, शहरों में तूफान के कारण जल के निकासी नेटवर्क, बाढ़ आप्लावन मैपिंग और बाढ़ रिस्क जोनिंग तथा मुख्य शहरों में जल गुणवत्ता आकलन से संबंधित वास्तविक समस्याओं के समाधान के लिए अध्ययन को शामिल है ।

6.8.7 अध्ययन और अनुसंधान

निम्नलिखित मुख्य वर्गों के अंतर्गत संस्थान में विस्तृत रूप से अध्ययन और अनुसंधान किए जा रहे हैं:-

- बुनियादी अध्ययन और अनुसंधान
- अनुप्रयुक्त अध्ययन और अनुसंधान
- सॉफ्टवेयर विकास
- फील्ड और प्रयोगशालामुखी और कार्यनीति अनुसंधान
- प्रायोजित अनुसंधान

6.8.8 संस्थान वर्तमान में निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों में अध्ययन और अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान दे रहा है- जल संसाधन पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, जल संसाधन आयोजना और प्रबंधन, भूजल मॉडलिंग और प्रबंधन, बाढ़ एवं सूखा प्रबंधन, अप्रभावी बेसिनों में निस्सरण का पूर्वानुमान, चरमावस्था का जल विज्ञान, जलाशय/झील अवसादन और विशेष क्षेत्रों में जल गुणवत्ता आकलन । एनआईएच जल संसाधन मंत्रालय के आईईसी कार्यकलापों तथा जन जागरूकता कार्यक्रमों को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है । राष्ट्रीय जल मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु एनआईएच मंत्रालय के नोडल केन्द्र के रूप में कार्य करता है ।

6.8.9 संस्थान में आईएनसीओएच का सचिवालय भी है, जो यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय जल विज्ञान कार्यक्रम हेतु भारत में नोडल अभिकरण भी है । आईएनसीओएच अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण में तथा सेमिनारों, संगोष्ठियों कार्यशालाओं आदि के प्रायोजन में सहायता करता है । एनआईएच जल विज्ञानियों के भारतीय संघ के कार्य को अति सक्रियता से सुविधा प्रदान कर रहा है ।

6.8.10 **तकनीकी प्रकाशन और तकनीकी अंतरण :** संस्थान के अनुसंधान कार्यों के परिणामों को रिपोर्ट और समकक्ष विशेषज्ञों द्वारा समीक्षित वैज्ञानिक पत्रों के रूप में प्रकाशित किया जाता है। संस्थान अन्य दस्तावेज जैसे दिशानिर्देश, मैनुअल, अत्याधुनिक रिपोर्टें भी तैयार करता है ।

6.8.11 संस्थान का एक मुख्य उद्देश्य है लक्षित प्रयोक्ता को विकसित तकनीकी उपलब्ध करना। रिपोर्टों और अनुसंधान पत्रों के विस्तृत प्रचार के अलावा तकनीक अंतरण कार्यक्रम के तहत कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कोर्सों, सेमिनारों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों, गहन विचार-विमर्श के सत्रों आदि का आयोजन मुख्य कार्यकलाप हैं ।

6.8.12 वर्ष 2010-11 के दौरान निष्पादन एवं वर्ष 2011-12 के लिए लक्ष्य इस प्रकार हैं :-

क्र.सं.	मद का विवरण	वर्ष 2010-11 के लिए वास्तविक लक्ष्य	वर्ष 2010-11 (दिसम्बर, 2010 तक) के दौरान उपलब्धियां	वर्ष 2011-12 के लिए लक्ष्य
1.	भौतिक/गणितीय माडल/डेस्क अध्ययन/ प्रयोगशाला अध्ययनों की पूर्णता	55	44	55
2.	तकनीकी रिपोर्टों को तैयार करना / पूर्ण हो चुके अध्ययन	27	17	25
3.	शोध पत्रों का प्रकाशन	174	146	170
4.	मार्गदर्शिकाओं/मैनुअलों को तैयार करना	1	1	2
5.	कार्यशालाओं/सेमिनारों/सम्मेलनों का आयोजन	15	16	15
6.	कार्मिकों का प्रशिक्षण	15	12	15
7.	तकनीकी हस्तांतरण क्रियाकलाप	8	10	10

दिसम्बर, 2010 तक अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम और जल विज्ञान परियोजना-।। के तहत क्रमश: 6.44 एवं 4.19 करोड़ रूपये का व्यय किया गया है ।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

6.9 जल तथा विद्युत परामर्शी सेवाएं (भारत) लिमिटेड

6.9.1 जल तथा विद्युत परामर्शी सेवाएं (भारत) लिमिटेड केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय के संरक्षण में अनुसूची 'बी' "मिनी रत्न" श्रेणी -1 का सार्वजनिक उपक्रम है । कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 26 जून, 1969 को निगमित वाप्कोस, जल संसाधन, विद्युत तथा अवसंरचना क्षेत्र के प्रत्येक पहलू में भारत तथा विदेशों में परामर्शी सेवाएं उपलब्ध करा रहा है । वाप्कोस की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, भारतीय रजिस्टर गुणवत्ता, प्रणाली द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र के अनुसार जल संसाधन, विद्युत एवं अवसंरचना विकास परियोजनाओं में परामर्शी सेवाओं के लिए आईएसओ 9001:2000 के गुणवत्ता आश्वासन आवश्यकताओं के अनुसार है।

6.9.2 मिशन : वाप्कोस का मिशन "निष्पादन, ग्राहकों की पूर्ण संतुष्टि, नवीनता, अत्याधुनिक तकनीकी विशेषज्ञता में श्रेष्ठता के द्वारा निरंतर लाभप्रद विकास" है ।

6.9.3 उद्देश्य: कंपनी के उद्देश्य निम्न प्रकार है :

(i) जल संसाधनों की इष्टतम आयोजना तथा विकास को सुनिश्चित करने तथा इसमें उपयोग की क्षमता में अत्यधिक वृद्धि करने के उद्देश्य से सर्वोच्च गुणवत्ता वाली वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा प्रबंधकीय सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रस्तुत करने हेतु एक प्रमुख अभिकरण की भूमिका निभाना ।

(ii) गुणवत्ता, विश्वसनीयता तथा परिशुद्धता का निर्माण करने हेतु आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा प्रणालियों को अपनाना जिसके द्वारा उपभोक्ता की अत्यधिक संतुष्टि को सुनिश्चित करना ।

(iii) घरेलू तथा विदेशी व्यापार के विकास की गति को बनाए रखना तथा जानकारी को अन्य विकासशील देशों में अंतरित करना ।

(iv) जल संसाधनों, विद्युत तथा अवसंरचना विकास के लागत-प्रभावी तथा एकीकृत विकास हेतु पर्यावरणीय अध्ययनों तथा परियोजना प्रबंधन सेवाओं को शामिल करते हुए सर्वेक्षणों, अन्वेषणों, डिजाइनों, लागत अनुमानों, परियोजना आयोजना में अन्तर्राज्यीय मानकों में विशेषज्ञता प्राप्त करना एवं इन्हें बनाए रखना ।

(v) अन्य राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों के साथ विचार-विमर्श के माध्यम से सक्रिय रूप से अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना ।

(vi) नई चुनौतियों के क्षेत्र में विविधता तथा संबंधित क्षेत्रों में आवश्यकता के माध्यम से परामर्शी क्षेत्र में उत्कर्षता बनाए रखना ।

(vii) सुधारीकृत उत्पादकता एवं इष्टतमीकरण के माध्यम से अपने प्रचालन के परिणामस्वरूप उद्यम के उचित लाभ को सुनिश्चित करना ।

(viii) अभिनव डिजाइन विकल्पों में नवीनतम प्रौद्योगिकी द्वारा क्षमता प्राप्ति के लिए सक्रिय भूमिका निभाना ।

(ix) परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने में विशेषज्ञता मानकों के अनुसार उच्चतम स्तर स्थापित करना ।

(x) उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ योग्यता को आकर्षित करना तथा दृढ़ संकल्प एवं निष्ठ कार्यबल को प्रोत्साहित करना ।

(xi) कारोबार विकास एवं प्रभावी कारोबार प्रबंधन को बढ़ाना ।

(xii) ग्राहक संतुष्टि की पूर्ण रूप से प्राप्ति ।

(xiii) वाप्कोस के ब्रैंड नाम को प्रचारित करना ।

6.9.4 विशेषज्ञता के क्षेत्र : कंपनी की विशेषज्ञता के मुख्य क्षेत्रों में सिंचाई एवं जल निकासी, बाढ़ नियत्रण और भूमि पुनरूद्धार, नदी प्रबंधन बांधों जलाशय इंजीयिंरग और बैराज एकीकृत कृषि विकास वाटर शेड प्रबंधन, जल विद्युत और ताप विद्युत का उत्पादन, विद्युत पारेशन और वितरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, भूजल अन्वेषण, लघु सिंचाई, जल आपूर्ति और स्वच्छता (ग्रामीण और शहरी) पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और पर्यावरणीय लेखा परीक्षा सहित पर्यावरणीय इंजीयिंरग, पतन और बदंरगाह तथा अन्तर-देशीय जलमार्ग, वर्षा जल संचयन, सर्वेक्षण एवं अन्वेषण मानव संसाधन प्रबंधन, प्रणाली अध्यन और सूचना तकनीकी शामिल है । वाप्कोस ने साफ्टवेयर विकास, शहरी विकास योजना, वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, तकनीकी शिक्षा, गुणवत्ता नियत्रण और निर्माण देख-रेख, सड़क एवं पुल जैसे कुछ नए क्षेत्रों में कार्य शुरू किया है । कंपनी ने भारत एवं विदेशों में विकासात्मक परियोजनाओं के लिए सेवाएं शुरू करने की संकल्पना उपलब्ध कराने हेतु संस्था के बहिर्नियम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में संशोधन किया है ।

6.9.5 सेवाओं का अनुक्रम: वाप्कोस द्वारा प्रदत्त सेवाओं के क्रम में विविध गतिविधियों जैसे प्रारंभिक अनुसंधान/सर्वेक्षण, क्षेत्र सर्वेक्षण और अनुसंधान, व्यवहार्यता अध्ययन/आयोजना/परियोजना प्रतिपादन, इंजीनियरिंग डिजाइन, प्रक्रियाओं का निरूपण एवं प्रस्तुतिकरण, परियोजना प्रबंधन, प्रचालन एवं रखरखाव, परियोजना कार्यान्वयन, संस्थागत/मानव संसाधन विकास शामिल हैं ।

6.9.6 अंतरर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ पंजीकरण एवं विदेश में प्रचालन: वाप्कोस विभिन्न अंतरर्राष्ट्रीय वित्त पोषण अभिकरणों जैसे विश्व बैंक/अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, अफ्रीकन विकास बैंक, एशियायी विकास बैंक, खाद्य एवं कृषि संगठन अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन, पश्चिम अफ्रीका विकास बैंक, भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहभागिता (आईटीईसी) कार्यक्रम, विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कार्पोरेशन (जेवीआईसी) आदि के साथ पंजीकृत है । वाप्कोस इस समय अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूटान, कोम्बोडिया, डीआर कांगो, लाओस, म्यांमार, नेपाल, नाइजीरिया, रवांडा, ताइवान और जिम्बाबवे में परामर्शी सेवाएं उपलब्ध करा रहा हैं । भारत में वाप्कोस लगभग सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को परामर्शी सेवाएं प्रदान कर रहा हैं ।

6.9.7 भारत और विदेश में महत्वपूर्ण चालू परियोजनाएं :

वाप्कोस की कुछ महत्वपूर्ण चालू परियोजनाएं इस प्रकार है :-

विदेश

(i) सलमा बांध परियोजना, अफगानिस्तान का पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापना ।
(ii) सूडान आपात परिवहन और अवसंरचना विकास परियोजना- सूडान में भारतीय पीएसयू द्वारा पहली परियोजना ।
(iii) जाई-जाई, चोक्वे, इन्हमवाने और मैक्सिकों नगरपालिका, मोजाम्बिक में विकास और सफाई शिक्षा, घरों और स्कूलों के लिए स्थानीय परिस्थिति के लिए ड्राई पिट लैट्रिन डिजाइन का विकास और बाढ़ क्षेत्र और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ।
(iv) तुंग तसाल जल संसाधन विकास परियोजना, कम्बोडिया ।
(v) कार्ती से स्ता-ट्रेंग तक ट्रांस्मीशन लाइन का परियोजना प्रबंधन, कम्बोडिया ।
(vi) वेस्ट बारै इरिगेशन प्रोजेक्ट की पुनर्स्थापना के लिए परियोजना प्रबंधन कंसलटेंसी, कम्बोडिया ।
(vii) नामसोंग हाईड्रो पावर प्रोजेक्ट और 115 केवी ट्रांस्मीशन लाइन का परियोजना प्रबंधन और ग्रामीण विद्युतीकरण चरण-2 के लिए उपकरणों की खरीद ।
(viii) चम्पास्साक में छ: सिंचाई परियोजनाओं का विकास, लाओस ।
(ix) पुनत्सांग्चु-I, जल विद्युत परियोजना का परियोजना प्रबंधन, भूटान ।
(x) पुनत्सांग्चु-II जल विद्युत परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, भूटान ।
(xi) अरूण-III जल विद्युत परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, नेपाल ।
(xii) मिनी जल परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, म्यांमार ।

भारत

(i) केरल स्थायी शहरी विकास एडीबी वित्तपोषित परियोजना के

अधीन कोची, थ्रीसूर और कोजीकोड के लिए डिजाइन और पर्यवेक्षण परामर्शी वाप्कोस ने अपने आरंभ से लेकर अब तक सबसे बड़ी परामर्शी परियोजना प्राप्त की ।

(ii) सरदार सरोवर परियोजना, गुजरात की आयोजना, सर्वेक्षण, डिजाइन और मैक्रो/माइक्रों कैनेलाइजेशन ।

(iii) उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना के अधीन गुणवत्ता मानीटरिंग और पर्यवेक्षण ।

(iv) केरल और मध्य प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अधीन जल निकासी परियोजना सहित गुणवत्ता नियंत्रण सहित परियोजना मानीटरिंग और निर्माण पर्यवेक्षण ।

(v) राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अधीन शुरू की गई परियोजनाओं के लिए स्वतंत्र समीक्षा और मानीटरिंग अभिकरण।

(vi) दामोदर घाटी नदी परियोजना, पश्चिम बंगाल के लिए मास्टर प्लान ।

(vii) प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कार्यों के लिए पर्यवेक्षण और गुणवत्ता मानीटरिंग सेवाएं, गुजरात ।

(viii) कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, पश्चिम बंगाल की नदी नियमन उपायों की पुनर्वैधता के लिए गणितीय मॉडल अध्ययन ।

(ix) उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ।

(x) टाइडल ऊर्जा परियोजना, पश्चिम बंगाल के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ।

(xi) कालीघाई-कालेश्वर-बघाल जल निकासी बेसिन, पश्चिम बंगाल के लिए मास्टर योजना और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना ।

(xii) आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के लिए सतही जल आधारित पाइप से जलापूर्ति के संबंध में परियोजना मानीटरिंग सहित इंजीनियरी परामर्शी सेवाएं और पर्यवेक्षण ।

6.9.8 कम्पनी ने वर्ष 2009-10 के दौरान 30.03 करोड़ रूपए निवल लाभ अर्जित किया था।

6.10 राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड

6.10.1 राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड (एनपीसीसी लि.) का संस्थापन कंपनी अधिनियम 1956 के तहत वर्ष 1957 में एक निर्माण कंपनी के रूप में मुख्य रूप से नदी घाटी परियोजनाओं, बांधों, बैराजों, बेयर, जलाशयों, तटबंधों, नहरों, सिंचाई एवं संबंधित अवसंरचनात्मक कार्यों के निर्माण के उद्देश्य से किया गया था । कम्पनी का कार्पोरेट कार्यालय फरीदाबाद में तथा पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में इसके 14 क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, सिल्चर, शिलांग, रायपुर, मुंबई, जम्मू तथा कश्मीर, बंगलोर, पटना, रांची, लखनऊ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और देहरादून में स्थित हैं। वर्तमान में इसकी 95 प्रचालन इकाइयाँ है तथा कंपनी की कुल जनशक्ति 1777 है ।

6.10.2 कंपनी का निष्पादन अपनी स्थापना के पहले दस वर्षों के दौरान अच्छा रहा तथा इसने

निरन्तर 1966-67 तक (वर्ष 1962-63 को छोड़कर) प्रदत्त पूंजी पर लाभांश दिया। हालांकि 1985-86 से 2005 तक कंपनी की वित्तीय स्थिति में तीव्र गिरावट आई ।

6.10.3 भारत सरकार के 219.43 करोड़ रूपये के मूलधन तथा इक्विटी पूंजी परिवर्तन की तिथि को इस पर देय संचयी ब्याज तथा इसे 10% शासित मूल्य पर लिखने के पुनरूद्धार प्रस्ताव को सरकार ने अनुमोदित कर दिया है । भारत सरकार के मूलधन एवं संचयी ब्याज को इक्विटी में परिवर्तित कर दिया गया है तथा सीसीईए के निर्णयों के अनुसार शेयर मूलधन के ह्रास भी प्रभावी हो गया है। इसके परिणामस्वरूप, कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 700 करोड़ रूपए है तथा इसकी प्रदत्त पूंजी 94.53 करोड़ रूपए है । इसमें से 1.05 करोड़ रूपए के शेयरधारक 14 राज्य सरकार एवं संघ राज्य क्षेत्र है तथा शेष शेयर पूंजी केन्द्र सरकार के पास है ।

6.10.4 कंपनी द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं में (i) त्रिपुरा, मिजोरम, असम और मेघालय में आईबीबी फेसिंग एवं लाइटंनिग कार्य, सड़क कार्य (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में असम रिफल कार्य (iii) लद्दाख (जम्मू एवं कश्मीर) में इंडो-तिब्बत सीमा सड़क (iv) बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश आदि में पीएमजीएसवाई कार्य शामिल है। मौजूदा व्यापार प्रचालन पैटर्न को नवीन विविधताओं सहित वर्ष 2011-12 के दौरान भी जारी रखने की आशा है ।

6.10.5 वर्ष 2009-10 के वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने 31.28 करोड़ रूपए की निवल लाभ दर्ज किया है ।

अनुलग्नक-I

जल संसाधन मंत्रालय

2009-10 के दौरान कार्य निष्पादन

(करोड़ रूपए)

क्रम सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2009-10	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.3.2010 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	(i) समग्र जल संसाधनों के मूल्यांकन और उनकी विशेषताओं के आकलन के लिए जल विज्ञानी प्रेक्षण केंद्रों के नेटवर्क से आंकड़ा संग्रहण (ii) एम आई गणना के माध्यम से लघु सिंचाई के संबंध में सूचना एकत्र करना (iii) अवसंरचना स्थापित करना और जल संसाधन सूचना प्रणाली शुरू करना	70.00	(i) 878 स्थलों पर जल विज्ञानीय प्रेक्षण जारी, (ii) जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास, (iii) एमआई गणना के लिए कार्यकलाप जारी	वर्षभर चलने वाले कार्यकलाप	(i) 371 जल गुणवत्ता प्रेक्षण स्थलों सहित 878 स्थलों के संबंध में आंकड़ा प्रेक्षण जारी। (ii) जल संसाधन सूचना प्रणाली के विकास हेतु कार्यकलाप जारी। (iii) एआईबीपी की सहायता प्राप्त एमएमआई परियोजनाओं की दूर संवेदी निगरानी के संबंध में एनआरएससी, हैदराबाद से प्राप्त 53 परियोजना रिपोर्टें। (iv) 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लगभग 99% फील्ड कार्य पूर्ण और 93.75% जांच और आंकड़ा प्रविष्टि पूर्ण।	

क्रम सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2009-10	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.3.2010 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	जल क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम	जल संसाधन क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और प्रशिक्षण से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों वाली स्कीम। ये गतिविधियां जल विज्ञान, द्रवीय, मृदा एवं सामग्री विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी संस्थानों अर्थात एनआईएच, सीडब्ल्यूएंडपीआरएस और सीएसएमआरएस द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं । स्कीम के अंतर्गत सीडब्ल्यूसी द्वारा विशिष्ट	**52.00**	इस स्कीम के कार्यान्वयन से क्षमता निर्माण और अतिरिक्त सुविधा सृजित करने में मदद मिलेगी। अनुसंधान के परिणाम सामान्यतः तकनीकी रिपार्ट और अनुसंधान पत्रों के रूप में हैं जिनमें आयोजना एवं अभिकल्प के लिए बेहतर सिफारिशें की गई हैं। मात्रात्मक सुपुर्दगियां इस प्रकार हैं : **(a)** अनुसंधान रिपोर्टें = **311** **(b)** अनुसंधान पेपर = **280** **(c)** प्रशिक्षण कार्यशालाएं **= 31**	कार्य, मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के द्वारा कार्यान्वित किया जाना है।	अनुसंधान/तकननीकी रिपार्टें- **290** अनुसंधान पेपर - **282** प्रशिक्षण और कार्यशाला **- 44**	

क्रम सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2009-10	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.3.2010 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		अनुसंधान/अध्ययनों को भी सहायता दी जाती है। विभिन्न राज्यों और शैक्षणिक संस्थाओं में स्थित डब्ल्यूएएलएमआई को जल संसाधन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास हेतु भी सहायता दी जाती है।					
3	राष्ट्रीय जल अकादमी	जल संसाधन की आयोजना, विकास और प्रबंधन में इंजीनियरों/इंडक्शन इंजीनियरों के लिए सेवा कालीन प्रशिक्षण	**2.60**	37 प्रशिक्षण कार्यक्रम	वार्षिक प्रशिक्षण सूची तैयार की गई।	37 प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे किए गए।	
4	बांध सुरक्षा अध्ययन और	**(i)**.सीडब्ल्यूसी में इंस्ट्रूमेंटेशन	**1.00**	**(i)** बांध सुरक्षा -3/2010 के लिए प्रबंधन सूचना	कॉलम 5 में प्रत्येक मद के	**(i)** सामान्यकृत पीएमपी नक्शे तैयार करने, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र बेसिन के लिए परामर्शदाता	

क्रम सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2009-10	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.3.2010 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
	आयोजना	संग्रहालय **(ii)** चार बेसिनों और छह क्षेत्रों के पीएमपी नक्शे तैयार करना और उनका डिजिटाइजेशन **(iii)** विद्यमान 10 परियोजनाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक आकलन द्वारा पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रबंधन और अवसंरचना का विकास। **(iv)** जोखिम विश्लेषण और कुछ विद्यमान परियोजनाओं के संबंध में अन्य विशिष्ट अध्ययन **(v)** प्रशिक्षण और		प्रणाली (एमआईएस) की स्थापना **(ii)** सामान्यकृत पीएमपी नक्शे तैयार करना और पीएमपी नक्शों को अद्यतन बनाना तथा पीएमपी नक्शों का डिजिटाइजेशन -3/2010 **(iii).** इंस्ट्रूमेंटेशन संग्रहालय के लिए मॉडल/फिक्सचर्स - 3/2010	साथ दर्शाया गया है।	और पीएमपी नक्शों को उन्नत बनाने के लिए सभी अग्रणी समाचार पत्रों में डीएवीपी की दर पर रूचि की अभिव्यक्ति के लिए नोटिस जारी किया गया है। **(ii)** इंस्ट्रूमेंटेशन प्रदर्शन केंद्र के लिए मॉडलों/फिक्सचर्स की खरीद का कार्य सीएसएमआरएस नई दिल्ली को सौंपा गया है।	

क्रम सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2009-10	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.3.2010 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
		बांध सुरक्षा कार्यों के संबंध में विशेष उद्देश्य वाले पैकेज तैयार करना।					
5.	जल विज्ञान परियोजना	13 राज्यों और 8 केंद्रीय अभिकरणों में जल संसाधनों की आयोजना और प्रबंधन से जुड़े सभी कार्यान्वयनकारी अभिकरणों द्वारा जल विज्ञान सूचना प्रणाली के निरंतर और प्रभावी उपयोग का विस्तार और उसे बढ़ावा देना।	38.10	जल विज्ञान परियोजना में चार बड़ी परामर्शदाता एजेंसियों की स्थापना की सहायता से नए राज्यों में पीडीएस समेत परियोजना घटकों अर्थात सांस्थानिक सुदृढ़ीकरण, जल विज्ञानीय अभिकल्प सहायता (एचडीए), डीएसएस-आयोजना (डीएसएस-पी), डीएसएस-वास्तविक समय (डीएसएस – आरटी) समेत उर्ध्वाधर विस्तार और 40	नियोजित कार्य केंद्रीय अभिकरणों अर्थात पीसीएस (जल संसाधन मंत्रालय) बीबीएमबी, सीडब्ल्यूसी, सीजीडब्ल्यूबी, सीडब्ल्यूपीआरएस, सीपीसीबी, आईएमडी और एनआईएच द्वारा जून 2012 तक कार्यान्वित किए जाने है।	(क) सभी चार बड़ी परामर्शदाता एजेंसियां विद्यमान हैं और कार्यान्वयनकारी अभिकरणों की सहायता करती हैं। (ख) डीएसएस-पी के लिए जेनरिक मॉडल तैयार किया जा रहा है। (ग) डीएसएस-आरटी हेतु मॉडल तैयार किया जा रहा है। (घ) पीडीएस हेतु कार्य चल रहा है। (ङ) हार्डवेयर/साफ्टवेयर की खरीद और अवसंरचना को उन्नत करके सांस्थानिक सुदृढ़ीकरण में आईए ने अच्छी प्रगति की है।	

क्रम सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2009-10	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.3.2010 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
				उद्देश्यपरक अध्ययन तथा क्षैतिज विस्तार			
6.	जल संसाधन विकास स्कीमों की जांच	जल संसाधन विकास के लिए अभिज्ञात परियोजनाओं की जांच करना	42.00	अभिज्ञात परियोजनाओं के संबंध में परियोजना रिपोर्टों की जांच और उन्हें तैयार करना जारी रखना।	परियोजना रिपोर्ट की जांच/तैयारी के कार्य एक वर्ष से अधिक की अवधि में किए जाते हैं और बाद के वर्षों में आगे ले जाए जाते हैं।	क) अरूणाचल प्रदेश में 10 एचई परियोजनाओं की विस्तृत रिपार्ट पूर्ण । ख) आईएलआर परियोजनाओं सहित जल संसाधन परियोजनाओं की जांच का कार्य जारी है। ग) पार-तापी-नर्मदा और दमन-गंगा पिंजाल संपर्कों की डीपीआर तैयार करने का कार्य जारी रहा। घ) एनपीपी के हिमालयी घटक के अंतर्गत 5 संपर्कों के संबंध में एफआर तैयार करने के लिए भारतीय सीमा में एसआई कार्य पूर्ण ङ) 3 अंत:राज्यीय संपर्कों की पीएफआर पूर्ण	
7.	पगलादिया बांध परियोजना	बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई एवं आनुषंगिक विद्युत	0.50	जिरात सर्वेक्षण के पूरा न होने के कारण परियोजना अभी शुरू	कार्य, ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किए जाने हैं।	असम सरकार द्वारा जिरात सर्वेक्षण के पूरा न होने के कारण परियोजना का मुख्य निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है और कार्य	

क्रम सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2009-10	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.3.2010 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		उत्पादन		की जानी है, निर्माण पूर्व कार्य जारी रखना।		रूका हुआ है। परियोजना हेतु सृजित संपदा के लिए केवल सामान्य आर एंड एम कार्य अपर्याप्त स्टाफ द्वारा किया जाता है।	
8.	नदी बेसिन संगठन/प्राधिकरण	स्कीम का उद्देश्य, संसाधनों के इष्टतम उपयोग और सभी पणधारियों की प्रत्याशाओं को पूरा करने के लिए समुचित विकल्प अभिज्ञात करने के विचार से आवश्यक अध्ययन और मूल्यांकन आदि करने के लिए सभी सह बेसिन राज्यों को मंच प्रदान करने के प्राथमिक उद्देश्य से नदी बेसिन संगठन बनाना है।	**1.00**	आरबीओ का गठन राज्य सरकारों से परामर्श करने के बाद किया जाना है परामर्श इस वर्ष शुरू किया जाना था। इस संबंध में एक सांकेतिक प्रावधान किया गया है।		मंत्रालय ने महानंदी एवं गोदावरी नदियों के संबंध में आरबीओ के गठन हेतु राज्य सरकारों को प्रस्ताव भेजा है। राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। मामलों को संबंधित राज्यों के साथ उठाया जा रहा है।	

क्रम सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2009-10	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.3.2010 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
9.	अवसंरचना विकास स्कीम	1. जल संसाधन मंत्रालय और इसके संबद्ध/अधीनस्थ संगठनों के लिए भूमि की खरीद और कार्यालय तथा रिहायशी भवनों का निर्माण और 2. जल संसाधन मंत्रालय, सीडब्ल्यूसी और सीजीडब्ल्यूबी में आईटी योजना के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक अवसंरचना का प्रावधान।	**15.00**	**(i)** भूमि अधिग्रहण **(ii)** कार्यालय/रिहायशी भवनों का निर्माण **(iii)** नवीनतम आईटी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की खरीद, उन्नयन और अनुरक्षण के साथ-साथ ई-गवर्नेंस को सुविधाजनक बनाने और आईटी सुविधाओं में कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए मुख्यालय समेत फील्ड कार्यालयों में आंकड़ा आधार का नेटवर्क	क्योंकि भूमि अधिग्रहण एवं भवनों का निर्माण लंबा समय लेने वाली प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न अभिकरण शामिल होते हैं, कुछ लक्षित कार्य अगले वर्ष में चले गए हैं।	मंत्रालय (खास) और सीडब्ल्यूसी में उपयोज्यों और परीधीय सामग्री की खरीद आईटी उपकरणों की एएमसी, स्थानीय क्षेत्रीय नेटवर्क का विस्तार, सर्वर की खरीद, और आईटी घटकों के संबंध में प्रशिक्षण पूरा कर लिया गया है। सीडब्ल्यूसी भवन/बैरक/चारदीवारी का निर्माण और सीडब्ल्यूसी के फील्ड कार्यालयों के लिए यथाअपेक्षित भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। अहमदाबाद, गुवाहाटी, बैंगलोर, अंबाला, भोपाल और जम्मू में भूमि अधिग्रहण और बैंगलौर, अंबाला और गुवाहाटी में सीजीडब्ल्यूबी की चारदीवारी के निर्माण का कार्य पूरा हो गया है।	भूमि अधिग्रहण और भवन निर्माण की प्रक्रिया जिसमें विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य सरकार के प्राधिकरण शामिल होते हैं, में लंबा समय लगने के कारण कार्यों के

क्रम सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2009-10	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.3.2010 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
							आगे जाने का जोखिम है
10.	**बाढ़ पूर्वानुमान**	स्थानीय प्रशासन को 175 केंद्रों पर समय पर बाढ़ की पूर्व सूचना देने के लिए 20 नदी बेसिनों को शामिल करने हेतु सीडब्ल्यूसी द्वारा देशभर में जलविज्ञानीय प्रेक्षण स्थ्ालों के नेटवर्क का रखरखाव	25.00	वास्तविक समय के संबंध में आंकड़ा संग्रहण, उसका विश्लेषण और बाढ़ पूर्वानुमान जारी करना। प्रतिवर्ष लगभग 6000 पूर्वानुमान जारी किए जाते हैं।	केंद्रीय जल आयोग द्वारा वर्ष भर कार्यान्वयन ।	कुल 4000 बाढ़ पुर्वानुमान जारी किए गए थे जिनमें से सही पाए जाने की सीमा के अंतर्गत 3927 पूर्वानुमान थे।	**शून्य**
11.	**फरक्का बैराज परियोजना**	**(i)**पोषक नहर, जांगीपुर बैराज आदि सहित फरक्का बैराज परियोजना और उसके आनुषंगिक	**70.00**	**(i)** पोषक नहर, जांगीपुर बैराज आदि सहित फरक्का बैराज परियोजना और उसके आनुषंगिक ढांचों का अनुरक्षण	फरक्का बैराज परियोजना द्वारा कार्यान्वित कार्य वर्ष भर जारी रहे।	(i) गंगा-पदमा नदी और उसकी सहायक नदियों के साथ-साथ कटावरोधी कार्य और फरक्का बैराज, उसके आनुषंगिक ढांचों का अनुरक्षण अपेक्षानुसार जारी रहा। (ii) 2883 मीटर लंबे क्षेत्र में कटावरोधी कार्य	**शून्य**

क्रम सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2009-10	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.3.2010 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		ढांचों का अनुरक्षण **(ii)** नदी को मुख्य बैराज में ले जाने के लिए गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारों की सुरक्षा हेतु कटावरोधी कार्य		**(ii)** गंगा-पदमा नदी के आस-पास भूमि, फसलें, फल बागान, सार्वजनिक भवनों आदि को बचाने के लिए फरक्का बैराज के 40 किलोमीटर प्रतिप्रवाह से 80 किलोमीटर अनुप्रवाह के संबंध में एफबीपी के बढ़ाए गए कार्यक्षेत्र में कटाव नियंत्रण		पूरे किए गए जिनकी लागत 46 करोड़ रूपये थी।	
12.	**नदी प्रबंधन कार्य और सीमा क्षेत्र संबंधी कार्य**	साझा/सीमावर्ती नदियों पर नदी प्रबंधन के साथ-साथ पड़ोसी देशों के साथ जल संसाधन परियोजनाओं का जल विज्ञानीय प्रेक्षण और अन्वेषण। ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा बाढ़	199.30	(i) बंगलादेश के साथ गंगा नदी के संबंध में संयुक्त जल विज्ञानी प्रेक्षण जारी रखना और (ii) संयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर)तैयार करना (iii) माजुली द्वीप में कटावरोधी और बाढ़	केंद्रीय जल आयोग, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, ब्रह्मपुत्र बोर्ड और बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और जम्मू-कश्मीर राज्य सरकारों द्वारा	(i) पंचेश्वर और सप्तकोसी परियोजनाओं* (नेपाल में) का सर्वेक्षण और अन्वेषण जारी रखना (ii) बंगलादेश को बाढ़ संबंधी आंकड़ों का प्रसारण (iii) 1996 की संधि के अनुरूप बंगलादेश के साथ गंगा नदी पर संयुक्त जल विज्ञानी प्रेक्षण । (iv) माजुली द्वीप में कटाव रोधी एवं बाढ़ सुरक्षा कार्य जारी रखना।	* नेपाल में कानून व्यवस्था की समस्या के कारण कार्यों में विलंब हुआ।

क्रम सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2009-10	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.3.2010 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
		नियंत्रण, कटावरोधी और जल निकासी विकास कार्य। कोसी और गंडक परियोजनाओं (नेपाल में) के बाढ़ सुरक्षा कार्यों का रखरखाव।		नियंत्रण कार्य (iv) पड़ोसी देशों से/को बाढ़ संबंधी आंकड़ों का प्रसारण (v) साझा/सीमावर्ती नदियों पर विकास कार्य। (vi) बंगलादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इच्छामती नदी का अवसादन।	कार्यान्वित ।	(v) कोसी के तटबंध में दरार को बंद करने का कार्य पूरा हुआ। बिहार सरकार को इस कार्य के लिए 37.65 करोड़ रूपये और जारी किए गए। (vi) बांगलादेश सीमा के साथ-साथ बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए त्रिपुरा और पश्चिम सरकार को क्रमश: 12.51 करोड़ और 17.51 करोड़ रूपये जारी किए गए।	
13.	बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम	देश में गंभीर क्षेत्रों में नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, कटाव रोधी, जल निकास, विकास, बाढ़ परीक्षण कार्यों के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देना	900.00	(i) गंभीर क्षेत्रों में नदी प्रबंधन कार्य। (ii) गंगा एवं ब्रह्मपुत्र बेसिन राज्यों के संबंध में बाढ़ प्रबंधन और कटाव नियंत्रण संबंधी कार्य दल-2004 द्वारा सुझाए गए अनुसार कटाव-रोधी कार्य, जल निकास सुधार कार्य, आदि। (iii) समुद्रतटीय राज्यों में तट कटाव कार्य ।	राज्य सरकारों द्वारा विस्तृत परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। नए प्रस्तावों को केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए सचिव (व्यय) की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा विचार किया	(I) 10 राज्यों द्वारा प्रस्तुत 768.24 करोड़ रुपये की राशि के कुल 26 प्रस्तावों को केंद्रीय सहायता देने के लिए शामिल किया गया था। (ii) 902.16 करोड़ रूपये की निधि (X वीं योजना के आगे ले जाए गए कार्यों के लिए 1.30 करोड़ रूपये सहित) राज्यों को जारी की गई थी। (iii) इस अवधि के दौरान राज्य सरकारों द्वारा कुल 117 स्कीमें पूरी की गई थी ।	

क्रम सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2009-10	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.3.2010 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
				(iv) चयनित क्षेत्रों में नदी क्षेत्रों में गाद हटाना / तलकर्षण	जाता है ।		
14.	भूजल प्रबंधन एवं विनियमन	i). भूजल प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए भूजल प्रबंधन अध्ययन ii) वैज्ञानिक उपकरणों जैसे दूर सवेदन और जीआईएस का उपयोग करते हुए भूजल अन्वेषण, भूजल संभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए ड्रिलिंग सहायता से भू-भौतिकीय सर्वेक्षण iii) भूजल निगरानी केन्द्रों से भू-जल स्तर की निगरानी iv) स्रोत का पता	82.00	• भूजल प्रबंधन अध्ययन-1.50 लाख वर्ग कि.मी. . • भूजल अन्वेषण - 830 कुऐं • आऊटसोर्सिंग के माध्यम से भूजल अन्वेषण - 796 • भूजल अन्वेषण कुंओ की निगरानी-15640 • अल्पकालिक जल आपूर्ति अन्वेषण-अनुरोध के अनुसार	एक वर्ष एक वर्ष एक वर्ष में चार बार एक वर्ष एक वर्ष	1.52 लाख वर्ग कि.मी. (मानसून पूर्व) 1.50 लाख वर्ग कि.मी. (मानसून पश्चात) 790 कुंएं* *1.कानून एवं व्यवस्था की समस्या के कारण(जम्मू एवं कश्मीर) 2. पुरानी रिग की बार-बार मरम्मत मई, अगस्त, नवम्बर, 09 और जनवरी 2010 की निगरानी पूर्ण 121	

क्रम सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2009-10	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.3.2010 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		लगाने के लिए केन्द्र/राज्य सरकार के विभाग को अल्पकालिक जल आपूर्ति अन्वेषण सौंपना v) भूजल अन्वेषण एवं कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के लिए स्थान का चयन करने और जलभृतों का पता लगाने के लिए भू-भौतिकीय अध्ययन vi) भूजल गुणवता के आकलन के लिए रासायनिक अध्ययन vii) आयोनाकारों और प्रशासकों द्वारा उपयोग हेतु रिपोर्ट, मानचित्र तैयार करना		भू-भौतिकिय सर्वेक्षण (क) सतही वीईएस=2000 और प्रोफाईलिंग लाईन कि.मी.=आवश्यकता आधारित (ख) उपसतही बोरहोल लोगिंग=आवश्यकता आधारित • जल नमूनों का विश्लेषण – 20000 • जिला रिपोर्टें तैयार करना -40 • भूजल वार्षिक पुस्तिकाएं -23 • राज्य रिपोर्टें -7 • राज्य एटलस-3 • भूजल अन्वेषण रिपोर्टें-17 • राज्य भू-भौतिकीय-रिपोर्टें -18 • राज्य रासयनिक रिपोर्टें -18	एक वर्ष एक वर्ष एक वर्ष दो वर्ष दो वर्ष एक वर्ष एक वर्ष 2-3 वर्ष	सतही वीईएस =1691 प्रोफाईल =1.48 एलकेएम बोरहोल लोगिंग=100 26 जिलों ने रिपोर्टें प्रस्तुत की और 2 रिपोर्टें जारी की गईं 23 भूजल वार्षिक पुस्तिकाएं प्रस्तुत की गईं और जारी की गईं 2 राज्य रिपोर्टें पूरी की गई 12 राज्य भू-भौतिकीय रिपोर्टें पूरी की गई 12 राज्य रासायनिक रिपोर्टें पूरी की गई कुल = 15780 (क) आधारभूत विश्लेषण =13400 (ख) भारी धातु = 1790	

क्रम सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2009-10	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.3.2010 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
		viii) केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा भूजल विकास का विनियमन ix) कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण सहित कृत्रिम पुनर्भरण अध्ययन जिनका प्रतिवलन राज्य सरकार एवं अन्य अभिकरणों द्वारा किया जाना है ।		सीजीडब्ल्यूए द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में भू-जल विकास का विनियमन पांच राज्यों (पंजाब , तमिलनाडु, केरल, अरूणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल) में कृत्रिम पुनर्भरण अध्ययनों के लिए 8 प्रदर्शनात्मक परियोजनाऐ		(ग) औरगेनिक = 103 (घ) विशिष्ट = 487 अधिसूचित क्षेत्रों में भूजल विकास का विनियमन- जारी चालू एवं पूर्ण स्कीमों का प्रभाव आकलन – जारी कृत्रिम पुनर्भरण एवं वर्षा जल संचयन के प्रदर्शनात्मक अध्ययन- चार राज्यों में 166 पुनर्भरण संरचनाएं पूरी की गईं। .	
15.	राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमि जल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान	सीजीडब्ल्यूबी और अन्य केन्द्र/राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को भूजल पहलुओं के संबंध में प्रशिक्षण	2.00	16 प्रशिक्षण कार्यक्रम	एक वर्ष	विभिन्न स्थानों पर भिन्न – भिन्न विषयों के संबंध में एक विशेष कार्यक्रम सहित 19 प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे किए गए। सीजीडब्ल्यूबी और राज्य सरकार के संगठनों से 340 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।	

क्रम सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2009-10	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.3.2010 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
16.	सूचना, शिक्षा और संचार	(i) देश के त्वरित, समान, आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए सभी पणधारियों की सक्रिय भागीदारी से इस महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने हेतु देश के जल संसाधन के इष्टतम स्थायी विकास, गुणवत्ता के परिरक्षण और प्रभावी उपयोग के लिए जागरूकता फैलाना । (ii) प्रबंधन में आपसी सहयोग की अविलंब आवश्यकता और एकीकृत आयोजना एवं सहभागिता दृष्टिकोण अपनाने के लिए जागरूकता फैलाना । (iii) जल संरक्षण की आवश्यकता के संबंध में लोगों के बीच जागरूकता फैलाना ।	15.00	जल संसाधन के स्थाई विकास एवं उपयोग के लिए जानकारी उपलब्ध कराने हेतु लोगों के बीच जागरूकता फैलाना ।	क्रियाकलाप जारी	वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान 12 करोड़ रूपये की राशि आवंटित की गई थी। अनुदान सहायता, कार्यालय व्यय और पीपीएसएस के रूप में 79,20,000/-रूपये , 93,700/-रूपये और 20,206/- रूपये के व्यय सहित विभिन्न जन जागरूकता क्रियाकलापों पर 10,27,12,00/-रूपये की राशि व्यय की गई थी । विज्ञापन एवं प्रचार के उप – शीर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाकलाप किए गए थे :- 1. जल संरक्षण हेतु जन जागरूकता के लिए इलेक्ट्रोनिक मीडिया अभियान - * जल संरक्षण के संबंध में विडियो स्पॉट्स का प्रसारण करने के लिए 10.9.2009 से दूरदर्शन के राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और डीडी समाचार चैनलों पर इलेक्ट्रोनिक मीडिया अभियान शुरू किया गया था । इसके साथ – साथ 15.9.2009 से दूरदर्शन के समाचार चैनल पर जल संरक्षण के संबंध में संदेशों के स्क्रोल भी प्रदर्शित किए गए । * वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान बनाई गई एफपीएआरपी फिल्म का इलेक्ट्रोनिक मीडिया अभियान में उपयोग के लिए संपादन किया गया और इसे विभिन्न भाषाओं में बनाया गया । * विडियो/ऑडियो स्पॉट्स के टेलीकास्ट/प्रसारण करके लोकसभा टीवी के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक मीडिया अभियान शुरू किया गया । एफपीएआरपी फिल्म लोकसभा टीवी पर प्रसारित की गई थी। * जल संरक्षण के संबंध में ऑडियो स्पोट्स का प्रसारण करने के लिए इलेक्ट्रोनिक मीडिया अभियान फरवरी एवं मार्च, 2010 के दौरान राष्ट्रीय समाचार, प्राथमिक चैनल/एलआरएस (188 केंद्र),विविध भारती राष्ट्रीय (40 केंद्र) और आकाशवाणी के एफएम चैनलों पर शुरू किया गया था। 2. प्रिंट मीडिया अभियान – * जून, 2009 के माह में हिन्दू पत्रिका और एसएआर इकोनॉमिस्ट पत्रिका में जल संरक्षण के संबंध में विज्ञापन प्रकाशित किए गए। * राज्यों की राजधानियों से प्रकाशित 47 समाचार पत्रों में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंत्रालय की नीतियों एवं कार्यक्रमों और उनके अंतर्गत उपलब्धियों को दर्शाने वाला एक विज्ञापन जारी किया गया था।	

क्रम सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2009-10	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.3.2010 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
		iv) जल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और जल संसाधन के स्थायी विकास से जुड़े मुद्दों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने, प्रलेखन एवं प्रसार पर जोर देते हुए राष्ट्रीय जल नीति के सिद्धांतों को प्रोत्साहन देना । (v) जल की वर्तमान एवं भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्षा जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए उपाय अपनाने की आवश्यकता के संबंध में जागरूकता फैलाना । (vi) जागरूकता अवसंरचना विशेषकर अभियान तंत्र एवं सहयोग संरचना को सुदृढ़ बनाना				* 19.11.2009 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर राज्यों की राजधानियों से एक विज्ञापन जारी किया गया था । * 7.12.2009 और 10.12.2009 को राज्यों की राजधानियों से प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों में 5वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के अवसर पर जल संरक्षण के उपायों को बढावा देने के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया था । * जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरूद्धार संबंधी स्कीम दर्शाने वाला एक विज्ञापन 7.3.2010 को जारी किया गया था । * विश्व जल दिवस के अवसर पर 22.3.2010 को एक विज्ञापन जारी किया गया था । 3. कार्यशालाएं/ सेमिनार/ सम्मेलन- * दूर संवेदन के संबंध में जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली में 18.5.2009 को एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। * सशस्त्र सेनाओं के लाभार्थ 9 जून, 2009 को जल उपयोग दक्षता में सुधार हेतु जल संरक्षण एवं कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी कार्यनीतियों पर एक कार्यशाला आयोजित की गई थी । * सशस्त्र सेनाओं के लाभार्थ 27.11.2009 को गंगटोक, सिक्किम में एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन पर एक और कार्यशाला आयोजित की गई थी । * सीएडीडब्ल्यूएम स्कंध के साथ मिलकर राज्य सरकारों के प्रधान सचिवों/ सचिवों और डब्ल्यूएएलएमआई/ आईएमटीआई के प्रमुखों का सम्मेलन 13.11.2009 को आयोजित किया गया था। * सशस्त्र सेनाओं के लाभार्थ 15.1.2010 को जोधपुर में एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के संबंध में एक कार्यशाला आयोजित की गई थी । * अधिकारियों और किसानों के लाभार्थ आंध्र प्रदेश सरकार के जल संसाधन क्षेत्र में मॉडल/ सुधार का प्रदर्शन करने के लिए मार्च, 2010 में सीएडीडब्ल्यूएम स्कंध के सहयोग से फील्ड दौरा और कार्यशाला आयोजित की गई ।	

क्रम सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2009-10	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.3.2010 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
						4.मेलों/ प्रदर्शनियों में भाग लेना– * 7-19 अक्तूबर, 2009 तक गुवाहाटी में आयोजित एएसओएम अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लिया । * 11-14 सितम्बर, 2009 तक थिम्पु, भूटान में आयोजित सार्क व्यापार मेले में भाग लिया । * जल संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए लोगों के बीच जागरूकता फैलाने हेतु पैवेलियन लगाकर, जल संरक्षण संबंधी मॉडलों के माध्यम से 14 से 27 नवम्बर, 2009 तक नई दिल्ली में आयोजित आईआईटीएफ-2009 में मंत्रालय और इसके संगठनों ने भाग लिया । * पारम्परिक मीडिया, इलेक्ट्रानिक डिस्पले बोर्ड, स्थानीय केबल नेटवर्क, स्थानीय समाचार पत्रों आदि के माध्यम से एनआईएच ने मंत्रालय की ओर से कुम्भ मेले में भाग लिया । 5. बैकलिट ट्रांस्लाईडस आदि का डिस्पले– * श्रम शक्ति भवन में जल संसाधन मंत्रालय के स्वागत कक्ष के पास मुख्य प्रवेश द्वार पर जल संरक्षण के संबंध में 'क्या करें और क्या न करें' दर्शाने वाली एक बैकलिट ट्रांस्लाईडस लगाई गई है । * दिल्ली मैट्रो स्टेशनों पर डिस्पले बोर्ड लगाये गए हैं । 6. जल संसाधन दिवस का आयोजन– * मई, 2009 के माह में गुवाहाटी में आईईसी स्कीम से अनुदान सहायता से इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के सहयोग से सीजीडब्ल्यूबी द्वारा जल संसाधन दिवस का आयोजन किया गया था । * 22 मार्च, 2010 को सीडब्ल्यूसी एवं सीजीडब्ल्यूबी के क्षेत्रीय कार्यालयों, जीएफसीसी, एनडब्ल्यूए और मंत्रालय में विश्व जल दिवस का आयोजन किया गया था ।	

क्रम सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2009-10	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.3.2010 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
17.	जलनिकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरूद्वार	जलनिकायों का पुनरूद्वार करना और उनकी क्षमता में वृद्धि करना, उनकी खोई हुई सिंचाई क्षमता को प्राप्त करना, कृषि/ उद्यान कृषि उत्पादकता में सुधार, पर्यटन का विकास, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, पेयजल की बढ़ी हुई उपलब्ध्यता ।	399.00	घरेलू सहायता से आरआरआर स्कीम के अंतर्गत 9 लाख हेक्टेयर के कृष्य कमान क्षेत्र में एक लाख जल निकाय शामिल किये जाएंगे। संगठन/परामर्शी ।	ये स्कीमें जारी रखी जा रही है ।	(i) 26 जिला परियोजनाओं में 1055 जल निकायों में प्रायोगिक स्कीम पूरी की गई। (ii) घरेलू सहायता के अंतर्गत 2009-10 के दौरान उड़ीसा को 72.12 करोड़ रूपये की और कर्नाटक को 74.04 करोड़ रूपये की निधि जारी की गई ।	

अनुलग्नक-II

जल संसाधन मंत्रालय
2010-2011 के दौरान निष्पादन (दिसम्बर, 2010 तक)

(करोड़ रूपए में)

क्रम संख्या	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/ समय सीमा	दिनांक 31.12.2010 को कॉलम(5) से संबंधित उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	(क) 1:50000 के पैमाने पर वाटरशेड एटलस तैयार करना और देश की वेब समर्थित जल संसाधन सूचना प्रणाली विकसित करना । (ख) जल गुणवत्ता आकलन प्राधिकरण को सहयोग देना और जल गुणवत्ता आकलन के लिए अध्ययन/ कार्यक्रम कार्यान्वित करना । (ग) प्रभावी जल प्रबंधन एवं इष्टतम उपयोग, विशेष तौर पर जल की कमी वाले मौसम में, के लिए नदी में बर्फ के पिघलने से आने वाले जल के आकलन हेतु यमुना और चिनाव बेसिन के लिए हिमगलन अपवाह मॉडल विकसित करना । (घ) जल गुणवत्ता आंकड़े एकत्रित करना और इनका प्रकाशन । (ङ) जल संसाधन के	66.00	(क) जल संसाधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूआरआईएस) वेबसाइट में 30 जीआईएस परतों की सहायता से और विस्तार/ अद्यतन किया जायेगा । (ख) 878 जल वैज्ञानिक प्रेक्षण स्थलों के लिए आंकड़ों का प्रेक्षण और अन्य जल संबंधी आंकड़े एकत्रित किया जाना जारी रहेगा। (ग) हिमप्रेक्षण स्थलों, जी एण्ड डी स्थलों से दीर्घावधि आंकड़े एकत्रित करना और हिमगलन अपवाह मॉडल विकसित करना । (घ) निगरानी उद्देश्य से परियोजनाओं के दौरों की संख्या। (ङ) चौथी लघु सिंचाई गणना के लिये फील्ड आंकड़ों को एकत्रित करना और इसका प्रक्रियान्वयन पूरा कर लिया जाएगा ।	पूरे वर्ष तक गतिविधियाँ जारी रखना।	(क) जल संसाधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूआरआईएस) का पहला चरण 7.12.2010 को शुरू किया गया था । (ख) 371 जल गुणवत्ता प्रेक्षण स्थलों सहित 878 स्थलों के लिए आंकड़ों का प्रेक्षण पूरा किया गया । (ग) दूरसंवेदन की सहायता से सिंचाई क्षमता के आकलन हेतु परियोजना अनुमोदित की गई । इस कार्य को करने के लिए एनआरएससी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए । (घ) "राष्ट्रीय भूजल गुणवत्ता निगरानी" के संबंध में एक मिशन दस्तावेज तैयार किया गया है और एक स्वतंत्र वेब पोर्टल तैयार किया गया है ।	

		व्यापक आकलन और उनकी विशेषताओं के विश्लेषण हेतु जल वैज्ञानिक प्रेक्षण केन्द्रों के नेटवर्क से आंकड़े एकत्रित करना । (च) एआईबीपी और सीएडी परियोजनाओं सहित देश भर में चयनित चालू वृहद, मध्यम एवं ईआरएम सिंचाई परियोजनाओं की निगरानी। (छ) चौथी लघु सिंचाई गणना ।					
2.	जल क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम	इस स्कीम में जल संसाधन के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और प्रशिक्षण से संबंधित विभिन्न क्रियाकलाप शामिल हैं। ये क्रियाकलाप जल विज्ञान, द्रवीय, मृदा एवं सामग्री विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी अनुसंधान संस्थानों अर्थात् एन आई एच, सी डब्ल्यू एण्ड पी आर एस, और सी एस एम आर एस और सी डब्ल्यू सी द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे हैं। कार्यक्रम के परिणामस्वरूप सिंचाई प्रणाली की दक्षता में सुधार, जल संसाधन परियोजना में खतरे/जोखिम में कमी, परियोजना के लिए आर्थिक डिजाइन और नई/उन्नत तकनीक का विकास करना होगा ।	54.00	स्कीम के कार्यान्वयन से क्षमता निर्माण और अतिरिक्त सुविधाओं के सृजन में सहायता मिलेगी। अनुसंधान के परिणाम सामान्यत: आयोजना एंव डिजाइन के लिए उन्नत तकनीकों की सिफारिशों वाली तकनीकी रिपोर्टें और शोध पत्रों के रूप में होते हैं।मात्रात्मक सुपुर्दगियाँ हैं: क) अनुसंधान रिपोर्टें=231 ख) शोध पत्र= 279 ग) प्रशिक्षण कार्यशाला = 30	मंत्रालय के विभिन्न संगठनों द्वारा कार्य को कार्यान्वित किया जाना है।	अनुसंधान/तकनीकी रिपोर्टें-150 शोध पत्र- 237 प्रशिक्षण और कार्यशाला-32	

3..	राष्ट्रीय जल अकादमी	जल संसाधन आयोजना, विकास और प्रबंधन में सेवारत अभियंताओं/ इंडक्शन अभियंताओं के लिए प्रशिक्षण	4.00	35 प्रशिक्षण कार्यक्रम		नवम्बर, 2010 तक 23 प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे किए गए।	
4.	बांध सुरक्षा अध्ययन और आयोजना	(क) बांध सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन (ख) सिंधु और कृष्णा बेसिनों और गंगा तथा ब्रह्मपुत्र बेसिनों के लिए सामानीकृत पीएमपी एटलसों को तैयार करना और डीजीटाइजेशन करना (ग) इन्सट्रुमेन्टेशन प्रदर्शन केन्द्र की स्थापना करना (घ) बांध सुरक्षा के लिये प्रशिक्षण और इस संबंध में विशेष उद्देश्य पैकेज का विकास	1.50	(क) इन्सट्रुमेन्टेशन प्रदर्शन केन्द्र के लिए मॉडल/फिक्सचरों की अधिप्राप्ति (ख) समानीकृत पीएमपी एटलसों को तैयार करना और डीजीटाइजेशन । गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन के लिए परामर्श करना और पीएमपी एटलसों का अद्यतन		i. संशोधित आवश्यकता और विशेषताओं को अंतिम रूप दिया गया और सीएसएमआरएस को जारी कर दिया गया ii. कार्य मेसर्स आरएमएसआई प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा को दिया गया था और कार्यान्वयन प्रगति पर है ।	
5	जल विज्ञान परियोजना	13 राज्यों और 8 केंद्रीय अभिकरणों में जल संसाधन की आयोजना और प्रबंधन से संबंधित सभी प्रयोक्ता अभिकरणों द्वारा जल वैज्ञानिक सूचना प्रणाली के सतत एवं प्रभावी उपयोग को आगे बढ़ाना और प्रोत्साहित करना	53.00	जल विज्ञानीय परियोजना में स्थित 4 मुख्य परामर्शियों की सहायता सहित परियोजना घटकों अर्थात सांस्थानिक सुदृढ़ीकरण, जल वैज्ञानिक डिजाइन संबंधी सहायता के साथ ऊर्ध्वाधर विस्तार, डीएसएस-आयोजना (डीएसएस-पी), डीएसएस-वास्तविक समय, और नए राज्यों में पीडीएस सहित 41 उद्देश्य प्रेरित अध्ययन और क्षैतिज विस्तार का कार्यान्वयन ।	नियोजित कार्यकलापों को केन्द्रीय अभिकरणों जैसे-पीसीएस (जल संसाधन मंत्रालय), बीबीएमबी, सीडब्ल्यूसी, सीजीडब्ल्यूबी, सीडब्ल्यूपीआरएस, सीपीसीबी, आईएमडी और एनआईएच के माध्यम से जून, 2012 तक कार्यान्वित किया जाना है ।	(क) सभी प्रमुख परामर्शी कार्यरत हैं तथा कार्यान्वयन अभिकरणों को सहायता कर रहे हैं । (ख) डीएसएस-पी के लिए जेनेरीक मॉडल अंतिम चरण में है । 17 अधिकारी डीएचआई, डेनमार्क में प्रशिक्षणरत हैं । (ग) डीएसएस-आरटी हेतु मॉडल विकास अंतिम चरण में है । 8 अधिकारी को डीएचई, डेनमार्क में प्रशिक्षणरत हैं । (घ) एचडीए के संबंध में शुरूआती रिपोर्ट और नवीनतम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं ।	

6.	जल संसाधन विकास स्कीमों की जांच	जल संसाधन विकास के लिए पहचानी गई परियोजनाओं के संबंध में छानबीन करना	54.00	पहचानी गई योजनाओं के लिए परियोजना रिपोर्ट की छानबीन एवं तैयारी करना ।	परियोजना रिपोर्ट की छानबीन/तैयारी का कार्य एक से अधिक वर्षों में पूरा किया जाता है तथा आने वाले वर्षों में आगे चला जाता है।	क) आईएलआर परियोजनाओं सहित जल संसाधन परियोजनाओं का अन्वेषण कार्य जारी है । पार-तापी-नर्मदा और दमन गंगा- पिंजाल संपर्कों की डीपीआर तैयार की जा रही है । (ख) एनपीपी के हिमालयी घटक के अन्तर्गत 1 संपर्क के संबंध में एफआर तैयार करने के लिए भारतीय क्षेत्र में एस और आई कार्य पूरे कर लिए गए हैं । (ग) 4 अन्त:राज्य संपर्कों के पीएफआर पूरे कर लिए गए हैं । (घ) जोगीघोपा-तीस्ता-फरक्का संपर्क का अतिरिक्त संरेखन सुदृढ़ किया गया है ।	
7.	पगलादिया बांध परियोजना	बाढ़ नियंत्रण , सिंचाई एवं अकस्मात विद्युत सृजन	0.50	वर्तमान स्थल पर कोई कार्यकलाप नहीं हो रहा है। तथापि, वर्तमान में मौजूद स्थल के प्रतिप्रवाह में ब्रह्मपुत्र बोर्ड वैकल्पिक स्थल का अन्वेषण कर रहा है । केवल परियोजना के लिए सृजित परिसंपत्तियों के लिए आर एंव एम कार्य अपूर्ण स्टाफ द्वारा जारी रखे जा रहे हैं।	कार्यकलापों को ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किया जाना है ।	परियोजना का मुख्य निर्माण क्रियाकलाप असम सरकार द्वारा जिरात सर्वेक्षण पूरा नहीं किये जाने के कारण शुरू नहीं हुआ है एवं कार्य रूका हुआ है। केवल परियोजना के लिए सृजित परिसंपत्तियों के लिए आर एंव एम कार्य अपूर्ण स्टाफ द्वारा जारी रखे जा रहे हैं।	
8.	नदी बेसिन संगठन/ प्राधिकरण	इस स्कीम का उद्देश्य, जल संसाधन के इष्टतम उपयोग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प की पहचान करने और सभी दावाधारकों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने की दृष्टि से आवश्यक अध्ययन और मूल्यांकन आदि प्रारंभ करने के वास्ते सभी सह-बेसिन	0.50	नदी बेसिन संगठनों के सृजन से पूर्व राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है । परामर्श की प्रक्रिया इस वर्ष के दौरान शुरू की गई थी । इस संबंध में एक सांकेतिक प्रावधान किया गया है।		मंत्रालय ने संबंधित राज्यों को महानदी एवं गोदावरी नदियों के लिए आर बी ओ के गठन हेतु प्रस्ताव भेजे हैं। राज्य सरकार का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। मामले को संबंधित राज्यों के साथ उठाया जा रहा है	

		राज्यों को एक मंच प्रदान करने के प्रमुख उद्देश्य सहित, नदी बेसिन संगठन को बढ़ावा देना है ।					
9.	अवसंरचना विकास योजना	1. जल संसाधन मंत्रालय और इसके संबद्ध/ अधीनस्थ संगठनों के लिए भूमि का प्रबंध और कार्यालय एवं आवासीय भवनों का निर्माण और 2. जल संसाधन मंत्रालय सी डब्ल्यू सी और सी जी डब्ल्यू बी में आई टी योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक अवसंरचना का प्रावधान।	28.50	(i) भूमि का अधिग्रहण (ii) कार्यालय/ आवासीय भवनों का निर्माण (iii) फील्ड कार्यालयों में डाटाबेस की नेटवर्किंग के अतिरिक्त नवीनतम आई टी हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर का अधिग्रहण उन्नयन और रखरखाव और साथ ही मुख्यालयों में ई-गवर्नेंस और आई.टी. सुविधाओं में व्यक्तियों को प्रशिक्षण की सुविधा।	चूंकि भूमि एवं भवनों का अधिग्रहण लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न अभिकरण शामिल हैं, अत: लक्षित कार्यों में से कुछ कार्य अगले वर्ष में चले गए हैं।	उपभोज्यों एवं परिधीय का प्रबंध, आई टी उपकरण की ए एम सी, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क का विस्तार, सर्वर का प्रबंध, आई टी पहलुओं का प्रशिक्षण मंत्रालय (खास) और सी डब्ल्यू सी में पूरा कर लिया गया है। सीडब्ल्यूसी के भवनों/बैरकों/ चारदीवारियों का निर्माण कार्य तथा भूमि अधिग्रहण, जैसाकि सीडब्ल्यूसी के फील्ड कार्यालयों में अपेक्षित है, प्रगति पर है । अहमदाबाद, गुवाहाटी, बंगलोर, अंबाला, भोपाल और जम्मू में भूमि अधिग्रहण तथा सीजीडब्ल्यूबी के बंगलोर, अंबाला एवं गुवाहाटी में चारदीवारी हेतु निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है ।	भूमि का अधिग्रहण और भवनों का निर्माण लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न केंद्र एवं राज्य सरकार के प्राधिकरण शामिल हैं, जिसके कारण कार्य आगे जाने की आशंका है।
10.	बाढ़ पूर्वानुमान	स्थानीय प्रशासन को 175 केंद्रों पर समय से बाढ़ पूर्वानुमान देने के लिए 20 नदी बेसिनों सहित सी डब्ल्यू सी द्वारा पूरे देश में जल वैज्ञानिक प्रेक्षण स्थानों के नेटवर्क का रखरखाव ।	36.00	वास्तविक आंकड़े एकत्रित करना, इनका विश्लेषण और बाढ़ पूर्वानुमान जारी करना लगभग 6000 पूर्वानुमान प्रति वर्ष जारी किये जाते हैं।	केन्द्रीय जल आयोग द्वारा वर्ष भर कार्यान्वित की गई।	इस अवधि के दौरान कुल 7508 बाढ़ पूर्वानुमान जारी किए गए ।	शून्य
11.	फरक्का बैराज परियोजना	(i) फरक्का बैराज परियोजना और इसकी फीडर नहर, जांगीपुर बैराज आदि सहित इसकी संबद्ध संरचनाओं का	82.00	(i) फरक्का बैराज परियोजना और इसकी फीडर नहर, जांगीपुर बैराज आदि सहित इसकी संबंद्ध संरचनाओं का रखरखाव (ii) गंगा पदमा नदी के साथ साथ	फरक्का बैराज परियोजना द्वारा कार्यान्वित क्रियाकलाप वर्ष भर जारी।	(i) फरक्का बैराज, इसकी संबद्ध संरचनाओं का रखरखाव एवं गंगा-पदमा नदी एवं इसकी वितरिकाओं के साथ साथ कटाव रोधी कार्य	शून्य

		रखरखाव (ii) गंगा नदी को मुख्य बैराज के साथ ले जाने के लिए गंगा नदी और इसकी वितरिकाओं के साथ तटों की सुरक्षा के लिए कटाव रोधी कार्य		भूमि, फसलों, फलोद्यानों, सार्वजनिक भवनों, आदि को बचाने के लिए फरक्का बैराज के 40 किमी0 प्रतिप्रवाह से 80 किमी0 अनुप्रवाह तक एफ बी पी के बढ़ाए गए अधिकार क्षेत्र में कटाव नियंत्रण		आवश्यकता के अनुसार जारी रखे गए। (ii) 1130 मी की लंबाई में 17 करोड़ रुपये की राशि के कटाव रोधी कार्य पूरे किये गए।	
12.	नदी प्रबंधन क्रियाकलाप और सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित कार्य	साझा/सीमावर्ती नदियों पर नदी प्रबंधन कार्यों के अतिरिक्त पड़ोसी देशों के साथ जल संसाधन परियोजनाओं के जल वैज्ञानिक प्रेक्षण और अन्वेषण। ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा बाढ़ नियंत्रण, कटाव रोधी एवं जल निकास विकास कार्य। कोसी एवं गंडक परियोजनाओं (नेपाल में) बाढ़ सुरक्षा कार्यों का रखरखाव।	199.00	(i) बंगलादेश के साथ गंगा नदी पर संयुक्त जल वैज्ञानिक प्रेक्षण जारी रखना, और (ii) संयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) तैयार करना। (iii) नेपाल में कोसी बैराज के बांए एफलक्स बंध में दरार को भरना। (iv) माजुली द्वीप के कटाव रोधी एवं बाढ़ सुरक्षा कार्य। (v) पड़ोसी देशों से/को बाढ़ संबंधित आंकड़े संप्रेषित करना। (vi) साझा/ सीमावर्ती नदियों पर विकास कार्य।	केंद्रीय जल आयोग, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, ब्रह्मपुत्र बोर्ड और बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल एवं जम्मू व कश्मीर की राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया गया।	(i)पंचेश्वर एवं सप्तकोसी परियोजनाओं (नेपाल में) का सर्वेक्षण एवं अन्वेषण जारी। (ii)बाढ़ संबंधित आँकडे बंगलादेश को संप्रेषित। (iii) 1996 की संधि के अनुसार बंगलादेश के साथ गंगा नदी संबंधित संयुक्त जल वैज्ञानिक प्रेक्षण जारी। (iv) माजुली द्वीप के कटाव रोधी एवं बाढ़ सुरक्षा कार्य जारी। (v) कोसी तटबंध की दरारों को भरने का कार्य पूरा किया गया । इस कार्य के लिए बिहार सरकार को 115.00 करोड़ रूपये दिए गए । (vi) बंगलादेश सीमा पर बाढ़ सुरक्षा कार्य और इच्छामती नदी की गाद हटाने के लिए त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल सरकार को क्रमश: 47.31 और 9.00 करोड़ रूपये जारी किए गए ।	

13.	बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम	देश में गंभीर क्षेत्रों में नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, कटाव रोधी, जल निकास, विकास, बाढ़ परीक्षण कार्यों के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देना	1199.00	(i) तटबंध बनाकर, सुदृढ़ीकरण करके और विस्तार करके गंभीर क्षेत्रों में नदी प्रबंधन कार्य। (ii) गंगा एवं ब्रह्मपुत्र बेसिन राज्यों के संबंध में बाढ़ प्रबंधन और कटाव नियंत्रण संबंधी कार्य दल-2004 द्वारा सुझाए गए अनुसार कटाव-रोधी कार्य, जल निकास सुधार कार्य, आदि। (iii) समुद्रतटीय राज्यों में तट कटाव कार्य । (iv) चयनित क्षेत्रों में नदी क्षेत्रों में गाद हटाना / तलकर्षण	राज्य सरकारों द्वारा विस्तृत परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। प्रस्तावों की जांच एवं अनुमोदन के लिए सचिव (व्यय), वित्त मंत्रालय की अध्यक्षता में 26.02.2008 को एक अधिकारप्राप्त समिति गठित की गई ।	(i) 13 राज्यों द्वारा प्रस्तुत 3564.17 करोड़ रुपये की राशि के कुल 42 प्रस्तावों को केंद्रीय सहायता देने के लिए शामिल किया गया था। (ii) 756.30 करोड़ रूपये की निधि (X वीं योजना के आगे ले जाए गए कार्यों के लिए 0.83 करोड़ रूपये सहित) राज्यों को जारी की गई थी। (iii) 31 दिसम्बर, 2010 तक राज्य सरकारों द्वारा कुल 26 स्कीमें पूरी की गई थी ।	
14.	भूजल प्रबंधन और विनियमन	(i) भूजल प्रबंधन की योजना तैयार करने के लिए भूजल प्रबंधन अध्ययन करता है । (ii) भूजल उपयोगी क्षेत्र खोजने के लिए ड्रिलिंग की सहायता से वैज्ञानिक उपकरणों जैसे दूर संवेदी यंत्र एवं जी आई एस, भूभौतिकीय सर्वेक्षण का उपयोग करते हुए भूजल अन्वेषण	100.00	• भूजल प्रबंधन अध्ययन-1.50 लाख वर्ग किमी. • *भूजल अन्वेषण-800 कुएँ • आऊटसोर्सिंग के माध्यम से भूजल अन्वेषण-796	एक वर्ष एक वर्ष	1.60 लाख वर्ग किमी. मानसून पूर्व, 1.05 लाख वर्ग किमी. मानसून के पश्चात शामिल किया गया 498 कुएं 6 क्षेत्रों नामतः एनडब्ल्यूआर (हरियाणा), एनसीआर, एनसीसीआर, सीआर, ईआर और एनईआर के लिए वाप्कोस से आउटसोर्स कराया गया ।	अपनी भूजल विकास और प्रबंधन कार्यनीति का पुन:स्थापन करने हेतु राज्यों को अभिज्ञात जोर दिए गए क्षेत्रों में भूजल प्रबंधन योजनाएं दी गई। अपनी जलापूर्ति स्कीमों में उपयोग हेतु क्षमता वाले जलभृत्तों के चित्रण में सहायता तथा उनको सफल उत्पादन वाले

							कुओं को संबंधित राज्य अभिकरणों को सौंपा गया और लोगों की पेयजल और घरेलू उपयोग हेतु जल आवश्यकता को पूरा करने में सहायता मिली है।
		(iii) भूजल मानीटरिंग केन्द्रों से भूजल स्तर की मानीटरिंग		• *भूजल प्रेक्षण कुओं की मानीटरिंग-15640	वर्ष में चार बार	मई और अगस्त, नवम्बर, 2010 की मानीटरिंग पूरी कर ली गई है ।	रिपोर्टों/ मानचित्रों/ विवरिणिका आदि के माध्यम से भूजल स्तर संबंधी आंकड़ों का संग्रह और प्रसार केन्द्र/ राज्य अभिकरणों को उपलब्ध भूजल संसाधनों के प्रबंधन को बनाए रखने हेतु नीतियों की आयोजना और तैयार करने में सहायता करते है ।
		(iv) केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों के प्राप्त स्त्रोतों के लिए अल्पकालीन जल		• *लघु अवधि जल आपूर्ति अन्वेषण-अनुरोध के अनुसार	एक वर्ष	166 अन्वेषण	रक्षा एवं अन्य संगठनों के लिए जलापूर्ति

		आपूर्ति अन्वेषण					अन्वेषण किए गए।
		(v) भूजल अन्वेषण और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के लिए स्थल का चयन करने और जलभृत खोजने के लिए भूभौतीकीय अध्ययन		▪ भूभौतिकीय सर्वेक्षण (क) सतह वी ई एस=2000 एंव लाइन किमी. का रेखांकन = आवश्यकता आधारित (ख) उपसतह बोर होल लोगिंग =आवश्यकता आधारित	एक वर्ष	भूभौतिकीय सर्वेक्षण : वीईएस = 1099 प्रोफाइल = 5.73 एलकेएम बोरहोल लॉगिंग = 64	
		(vi) भूजल गुणवत्ता के आकलन के लिए रसायनिक अध्ययन		● जल नमूनों का विश्लेषण - 20000 नमूने	एक वर्ष	जल नमूनों का विश्लेषण-13463	रिपोर्टों/ मानचित्रों/ विवरिणिका आदि के माध्यम से भूजल स्तर संबंधी आंकड़ों का संग्रह और प्रसार केन्द्र/ राज्य अभिकरणों को उपलब्ध भूजल संसाधनों के प्रबंधन को बनाए रखने हेतु नीतियों की आयोजना और तैयार करने में सहायता करते है ।
		(VII) आयोजकों एंव प्रशासकों द्वारा उपयोग के लिए रिपोर्ट, मानचित्र तैयार करना।		● जिला रिपोर्टें तैयार करना - 40 ● भूजल वार्षिक पुस्तकें= 23 ● राज्य रिपोर्टें= 11 ● राज्य एटलस-3 ● भूजल अन्वेषण रिपोर्टें-17 ● राज्य भूभौतिकी रिपोर्टें -14 ● राज्य रासायनिक रिपोर्टें-18	एक वर्ष एक वर्ष दो वर्ष दो वर्ष एक वर्ष एक वर्ष	6 जिला रिर्पोटें तैयार कर ली गई है और शेष का कार्य प्रगति पर है । 22 भूजल वार्षिक पुस्तकें प्रस्तुत की गई हैं । प्रगति पर है- 1. मेघालय 2 रिपोर्टें 5 रिपोर्टें तैयार कर ली गई हैं और शेष प्रगति पर है । 6 रिपोर्टें तैयार कर ली गई है और शेष प्रगति पर है ।	
		(VIII) केंद्रीय भूमिजल प्राधिकरण द्वारा भूजल विकास का नियमन		केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में भूजल विकास का विनियमन	चल रहा है ।	चल रहा है ।	पेयजल और घरेलू उपयोगों सहित सभी उद्देश्यों के लिए अतिरिक्त भूजल के निष्कासन

							को रोक कर भूजल विकास हेतु क्षेत्रों की अधिसूचना ने इन क्षेत्रों में बेहतर भूजल शासन बनाने में सहायता दी है।
		(IX) राज्य सरकार और अन्य अभिकरणों द्वारा प्रतिवलित करने हेतु कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण सहित कृत्रिम पुनर्भरण अध्ययन करना ।		ओ.ई./गंभीर/शहरी क्षेत्र को शामिल करते हुए जोर दिए जाने वाले अभिज्ञात क्षेत्र में कृत्रिम पुनर्भरण अध्ययन के लिए प्रदर्शनात्मक परियोजना	2-3 वर्ष	एआर से भूजल तथा आरडब्ल्यूएच पर प्रदर्शानात्मक परियोजनाओं का विवरण अनुमोदित हो गया है और XIवीं योजना के दौरान केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है। 4863.028 लाख रूपए राशि वाली कुल 1075 संरचनाओं का अनुमोदन किया गया है और 31 दिसम्बर, 2010 तक 3347.294 लाख रूपए जारी किए गए हैं तथा 364 संरचनाएं पूरी हो चुकी है।	एआर और आरडब्ल्यूएच संरचना का निर्माण भूजल संसाधन के सवंर्धन में सहायक हुआ है तथा राज्य सरकार के संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, वीओ और अन्य पणधारियों के क्षमता निर्माण तथा इसी तरह के जलवैज्ञानिक स्थिति में समान संरचनाओं को तैयार करने में भी सहायक हुई है ।
15.	राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमि जल प्रशिक्षण एवं	भूजल संबंधी पहलुओं पर सी जी डब्ल्यू बी और अन्य केंद्र/राज्य सरकार के	6.00	39 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	एक वर्ष	23 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरे किए गए और 480 प्रशिक्षु प्रशिक्षित किये गये।	भूजल अन्वेषण विकास तथा प्रबंधन तकनीकों

	अनुसंधान संस्थान	अधिकारियों को प्रशिक्षण।					में अधिकारियों का क्षमता निर्माण।
16.	सूचना, शिक्षा एवं संचार	(i) देश के त्वरित, समान, आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी दावाधारकों की सक्रिय भागीदारी से इस मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन की बढती हुई मांग को पूरा करने के लिए इष्टतम सतत विकास, गुणवत्ता बनाए रखने और देश के जल संसाधन के प्रभावी उपयोग के लिए जागरूकता लाना। (ii) आपसी सहयोग और प्रबंधन में समग्र आयोजना एवं सहभागी दृष्टिकोण अपनाने की अविलंब आवश्यकता के लिए जागरूकता जगाना। (iii) जल संरक्षण की आवश्यकता के संबंध में लोगों में जागरूकता फैलाना। (iv)जल विज्ञान एवं तकनीकी और जल संसाधन के सतत विकास से संबंधित मुद्दों के संबंध में ज्ञान को सिखाना, प्रलेखन और फैलाने पर ध्यान देते हुए राष्ट्रीय जल नीति के सिद्वांतों को प्रोत्साहित करना। (v)जल की वर्तमान एवं	15.00	जल संसाधन के सतत विकास एवं उपयोग के लिए लोगों में जागरूकता सृजन हेतु शिक्षा देना।	क्रियाकलाप जारी है।	वर्ष 2010-11 के चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 15 करोड़ रूपये की राशि आवंटित की गई है । दिसम्बर, 2010 तक अनुदान सहायता और कार्यालय व्यय के रूप में क्रमश: 38,30,403 रूपए और 1,00,000/- रूपए के व्यय को शामिल करते हुए 10,00,00,000 (लगभग) की राशि की विभिन्न जन जागरूकता कार्यकलापों पर खर्च की गई। उप-शीर्ष विज्ञापन और प्रकाशन के तहत निम्नलिखित कार्यकलाप शुरू किए गए । 1. चित्रकला प्रतियोगिता:- • 21 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा स्कूल, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर त्रिस्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। • 21 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में स्कूल स्तरीय प्रतियोगिता में 5070 स्कूलों से कुल 2,67,527 छात्रों ने भाग लिया था । • राज्य/संघ शासित क्षेत्र में प्राप्त 50 सबसे	

		भविष्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वर्षाजल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के उपायों को अपनाने की आवश्यकता के संबंध में जागरूकता फैलाना। (vi) अवसंरचना विशेष तौर पर अभियान तंत्र एवं सहायक ढांचे के संबंध में जागरूकता फैलाना ।				अच्छी प्रविष्टियों के बीच राज्य/संघ शासित क्षेत्र की राजधानियों में 14 नवम्बर, 2010 को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की गई थी । • 21 जनवरी, 2011 को आयोजित राष्ट्र स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु प्रत्येक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र से राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेताओं को बुलाया गया था । 2. जल संरक्षण पर जनजागरूकता के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभियान- • इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभियान को दूरर्शन के राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और डीडी न्यूज चैनलों पर शुरू किया जा चुका है जो जल संरक्षण पर वीडियों स्पाटों को टेलिकास्ट करने हेतु 70 दिनों के लिए दिनांक 10.9.2010 से लागू	

						हो गए । • जल संरक्षण पर आडियों स्पॉटों के प्रसार हेतु 54 दिनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभियान को आकाशवाणी के राष्ट्रीय समाचार प्राथमिक चैनल/ एलआरएस (188 स्टेशन), विविध भारती राष्ट्रीय (40 स्टेशन), 22 एफएम चैनलों और क्षेत्रीय समाचार के 31 स्टेशनों पर शुरू किया गया है। 3. प्रिंट मीडिया अभियान- • दिनांक 20.08.2010 को सद्भावना दिवस के अवसर पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की राजधानी और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तथा देश के अन्य स्थानों से प्रकाशित समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किया गया था। • दिनांक 19.11.2010 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर राज्यों की राजधानियों से एक विज्ञापन जारी	

						किया गया था। • दिनांक 02.10.2010 को महात्मा गांधी के जन्मदिन और विश्व अहिंसा दिवस के अवसर पर एक विज्ञापन जारी किया गया था । 4. कार्यशाला/सेमिनार/सम्मेलन- • शिलांग में 4 से 5 अक्तूबर, 2010 को "एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन" विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। • मंत्रालय की ओर से सीडब्ल्यूसी और सीजीडब्ल्यूबी के फील्ड अधिकारियों ने जल से संबंधित विषय पर कई कार्यशालाएं आयोजित की । 5. मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना- • दिनांक 3-24 मई, 2010 को थ्रिसूर, केरल में आयोजित थ्रिसूर पूरम प्रदर्शनी में भाग लिया। • दिनांक 4-6 जून,	

						2010 को नैनीताल, उत्तराखंड में आयोजित विज्ञान और तकनीकी एक्सपो में भाग लिया । • जल संरक्षण तथा प्रबंधन के लिए लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए पैवेलियन खड़ा करने, जल संरक्षण पर मॉडलों के माध्यम से दिनांक 14 से 27 नवम्बर, 2010 को नई दिल्ली में मंत्रालय और इसके संगठनों ने आईआईटीएफ-2010 में भाग लिया • दिनांक 3 से 7 सितम्बर, 2010 को कोलकाता में आयोजित "गौरवमय भारत की ओर अग्रसर" विषय पर 14वीं राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लिया।	
17.	जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरूद्धार	(i) जल निकायों की भण्डारण क्षमता का पुनरूद्धार और संवर्धन करना । (ii) उनकी खोई हुई सिंचाई क्षमता को प्राप्त	घरेलू सहायता के लिए 600.00 करोड़ रूपये ।	(i) कार्यान्वयन के लिये अभिज्ञात की गई जिला रिपोर्टों के संबंध में प्रगति की निगरानी । (ii) स्कीम पूर्ण होने के बाद स्कीम के निष्पादन का मूल्यांकन करना (iii) राज्य सरकारों से प्राप्त	ये स्कीमें जारी हैं ।	(i) 8690 जल निकायों को शामिल करने के लिए घरेलू सहायता से जल निकायों की आरआरआर संबंधी स्कीम के अंतर्गत 17 राज्यों ने अभिव्यक्ति की रूचि दर्शाई है ।	

		करना तथा उनमें विस्तार करना । (iii) कृषि/उद्यान कृषि की उत्पादकता में सुधार। (iv) पर्यटन विकास, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, पेयजल की उपलब्धता में वृद्धि करना।		विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के आधार पर उन्हें निधि जारी करना। (iv) जहां स्कीम कार्यान्वयनाधीन है वहां कार्यक्रम का समवर्ती मूल्यांकन ।		(ii) इस परियोजना के अंतर्गत कार्य वर्ष 2010-11 के दौरान जारी रहेंगे । (iii) जल निकायों की आरआरआर संबंधी स्कीम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 70 करोड़ रूपये, उत्तर प्रदेश को 29.08 करोड़ रूपये की और मध्य प्रदेश को 7.33 करोड़ रूपये तक की राशि की निधि जारी की गई है । (iv) राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राज्य सरकारों को 31 मार्च, 2011 तक निधि जारी की जाएगी ।	

अनुलग्नक-III

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय परियोजना

राज्यों को कुछ अधूरी वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं, जो कि पूरा होने के अंतिम चरणों में थीं, को पूरा करने के लिए ऋण सहायता देने और देश में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम को 1996-97 के दौरान शुरू किया गया था। पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू व कश्मीर, पर्वतीय राज्यों हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा के अविभाज्य कोरापुट, बोलंगीर और कालाहांडी जिलों की सतही लघु सिंचाई स्कीमों को भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1999-2000 से केन्द्रीय ऋण सहायता (सी एल ए) उपलब्ध कराई गई है। अन्य केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमों की तरह अप्रैल, 2004 से इस कार्यक्रम में अनुदान घटक को शुरू किया गया है। दिसंबर, 2006 से प्रभावी वर्तमान ए आई बी पी मानदंडों के अनुसार गैर-विशेष श्रेणी राज्यों में वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत का 25% तक अनुदान और विशेष श्रेणी राज्यों (उड़ीसा के अविभाज्य कोरापुट, बोलंगीर और कालाहांडी जिलों सहित) में वृहद/मध्यम/लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत का 90% तक अनुदान चयनित परियोजनाओं को उपलब्ध कराया जाता है। सूखा प्रवण/जनजाति क्षेत्रों में आने वाली गैर-विशेष श्रेणी राज्यों की लघु सिंचाई स्कीमों को विशेष श्रेणी राज्यों की स्कीमों के समान माना जाता है और इन्हें परियोजना लागत का 90% तक अनुदान जारी किया जाता है। सूखा प्रवण/जनजाति क्षेत्रों और बाढ़ संभावित क्षेत्रों को सिंचाई लाभ पहुंचाने वाली वृहद एवं मध्यम परियोजनाऐं भी परियोजना लागत का 90% तक अनुदान पाने के लिए पात्र हैं। इस कार्यक्रम के शुरू होने से 01.02.2011 तक राज्य सरकारों को 286 वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं और 12104 सतही लघु सिंचाई स्कीमों के लिए ए आई बी पी के अंतर्गत सी एल ए/अनुदान के रूप में 44574.515 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। इस कार्यक्रम के शुरू होने से अभी तक 129 वृहद/मध्यम और 8140 लघु सिंचाई स्कीमों को पूरा कर लिया गया है। मार्च, 2009 तक वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से 5.486 मिलियन हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है और सतही लघु सिंचाई स्कीमों के माध्यम से 0.454 मिलियन हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है। 2009-10 के दौरान मार्च, 2010 तक 9.82 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता का सृजन किया जाना अनुमानित किया गया है।

ए आई बी पी के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार सूखा प्रवण/जनजाति क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाओं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल के कृषि की समस्या वाले जिलों के लिए प्रधानमंत्री राहत पैकेज में शामिल परियोजनाओं और राष्ट्रीय औसत से कम सिंचाई विकास वाले राज्यों की परियोजनाओं को ए आई बी पी के अंतर्गत नई परियोजना को शामिल करने के एक अनुपात एक के मानदंडों में छूट देते हुए ए आई बी पी में शामिल किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र के कृषि की समस्या वाले जिलों के लिए प्रधानमंत्री राहत पैकेज में शुरूआती तौर पर शामिल की गई 65 वृहद/मध्यम परियोजनाओं में से अभी तक 40 परियोजनाएं ए आई बी पी के अंतर्गत वित्तपोषित की गई हैं। इन परियोजनाओं के लिए अभी तक जारी किया गया अनुदान 5155.1307 करोड़ रूपये है।

वर्ष 2010-11 के लिए वित्त मंत्रालय ने 9200 करोड़ रू. का बजट आबंटन एआईबीपी के लिए किया है जिसमें राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए 2200 करोड़ शामिल है।

राष्ट्रीय परियोजनाएं

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 7 फरवरी, 2008 को आयोजित की गई अपनी बैठक में निम्न चयन मानदंडों में आने वाली राष्ट्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी जल संसाधन मंत्रालय के प्रस्ताव को परियोजना लागत के 90% की केन्द्रीय सहायता अनुदान के रूप में देने पर अपनी सहमति दे दी है:

(i) अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं जहां भारत में जल का उपयोग एक संधि के तहत होता है अथवा जहां परियोजना की आयोजना और इसे शीघ्र पूरा करना देश के हित में आवश्यक है।

(ii) नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी परियोजनाओं सहित अंतर्राज्यीय परियोजना लागत में हिस्सेदारी, पुनर्वास, विद्युत उत्पादन के पहलू आदि से संबंधित अंतर्राज्यीय मुद्दों का समाधान न होने के कारण देरी हो रही है।

(iii) 2,00,000 हेक्टेयर से अधिक की अतिरिक्त क्षमता वाली अंत:राज्यीय परियोजनाएं और जहां जल की हिस्सेदारी के संबंध में कोई विवाद नहीं है और जहां जलविज्ञान स्थापित है।

जल संसाधन मंत्रालय ने योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श से राष्ट्रीय परियोजनाओं संबंधी स्कीम के कार्यान्वयन के लिए वित्तपोषण की रीतियों और दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे दिया है और इसे सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दिया है। अब तक राष्ट्रीय परियोजनाओं संबंधी स्कीम के अंतर्गत दो परियोजनाओं अर्थात महाराष्ट्र की गोसीखुर्द परियोजना और पंजाब की शाहपुर कांडी का वित्तपोषण किया गया है । गोसीखुर्द परियोजना को 2008-09 से 2010-11 के दौरान (01.02.2011 तक) 1805.28 करोड़ रूपये की राशि का अनुदान दिया गया है । शाहपुर कांडी परियोजना को 2009-10 के दौरान 10.80 करोड़ रूपये की राशि का अनुदान दिया गया है ।

अनुलग्नक -IV

XIवीं योजना परिव्यय की तुलना में जल संसाधन मंत्रालय के बजट का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(रूपये करोड़ में/निवल)

क्षेत्र/संगठन/स्कीम	XI वीं योजना	लेखों के शीर्ष	ब.प्रा.	वास्तविक	ब.प्रा.	वास्तविक	ब.प्रा.	वास्तविक	ब.प्रा.	सं.प्रा.	ब.प्रा.
	परिव्यय		**2007-08**	**2007-08**	**2008-09**	**2008-09**	**2009-10**	**2009-10**	**2010-11**	**2010-11**	**2011-12**
वृहद एवं मध्यम सिंचाई											
1. राष्ट्रीय जल अकादमी	**15.00**	**2701**	2.00	1.86	2.30	2.37	2.60	2.53	4.00	3.00	3.00
2. अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम	**260.00**	**2701**	30.00	33.28	60.00	39.81	52.00	32.85	54.00	42.00	46.19
3. जल विज्ञान परियोजना	**180.00**	**2701**	33.00	6.98	44.00	9.92	38.10	21.54	53.00	31.00	80.00
4. जल संसाधन सूचना का विकास	**200.00**	**2701**	30.00	18.65	46.00	45.58	70.00	63.10	66.00	41.49	59.00
5. अवसंरचना विकास	**	**2701**	4.00	1.33	5.00	2.06	1.00	1.28	3.00	3.00	3.00
6. जल संसाधन विकास का अन्वेषण	**260.00**	**2701**	30.00	25.09	37.00	36.17	42.00	37.01	54.00	46.00	54.00
7. सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण	**90.00**	**2701**	2.00	1.32	13.00	9.08	12.00	10.85	15.00	14.10	25.00
8. बांध सुरक्षा अध्ययन और आयोजना	**10.00**	**2701**	1.00	0.48	1.60	0.80	1.00	0.34	1.50	1.00	3.00
9. नदी बेसिन संगठन/प्राधिकरण	**50.00**	**2701**	0.50	0.00	1.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.01	4.00
कुलः वृहद एवं मध्यम सिंचाई	**1065.00**		**132.50**	**88.99**	**209.90**	**145.79**	**219.20**	**169.50**	**251.00**	**181.60**	**277.19**
लघु सिंचाई											
सतही जल स्कीम											
10. भूजल प्रबंधन एवं नियमन	**460.00**	**2702**	62.00	48.11	95.00	54.37	70.00	68.82	100.00	78.00	120.00
11. राजीव गांधी एनजीडब्ल्यूटी एवं आरआई	**25.00**	**2702**	1.50	0.60	2.10	0.64	2.00	1.78	6.00	3.40	3.00
12. अवसंरचना विकास	**	**4702**	4.55	1.27	7.00	2.07	4.50	2.15	10.50	10.00	11.40
कुल : लघु सिंचाई	**485.00**		**68.05**	**49.98**	**104.10**	**57.08**	**76.50**	**72.75**	**116.50**	**91.40**	**134.40**
13. कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम	**$$**	**2705**	300.00	277.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल : सीएडी एवं डब्ल्यूएम			**300.00**	**277.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र											
14. बाढ़ पूर्वानुमान	**130.00**	**2711**	16.00	13.91	23.00	13.68	25.00	17.38	36.00	25.00	36.00
15. अवसंरचना विकास	**	**4711**	3.45	1.54	26.00	6.56	9.50	4.25	15.00	11.50	14.00
16. नदी प्रबंधन क्रियाकलाप एवं सीमावर्ती नदियों से संबंधित कार्य	**601.00**	**2711**	46.00	51.44	160.00	176.09	199.30	159.46	199.00	188.49	188.00
17. पगलादिया बांध परियोजना	**500.00**	**2552**	1.00	1.35	2.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.01	0.01
कुलः बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र	**1231.00**		**66.45**	**68.24**	**211.00**	**196.33**	**234.30**	**181.09**	**250.50**	**225.00**	**238.01**
परिवहन क्षेत्र											
18. फरक्का बैराज परियोजना	**350.00**	**5075**	33.00	30.99	75.00	54.03	70.00	68.95	82.00	62.00	70.40
** XIवीं योजना के लिए कुल आवंटन	115.00										
$$ इस स्कीम को 2008-09 से राज्य क्षेत्र को अंतरित कर दिया गया है ।											
कुल जोड़	**3246.00**		**600.00**	**516.04**	**600.00**	**453.23**	**600.00**	**492.29**	**700.00**	**560.00**	**720.00**